संलग्नक क्र. 4

कार्यवाही विवरण

मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–तुमीडीह एवं पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट की स्थापना जिसमें डीआरआई किल्न्स 2x350 टीपीडी और 2x200 टीपीडी – 3,63,000 टीपीए), मैचिंग एलआरएफ और सीसीएम के साथ इंडक्शन फर्नेस (हॉट बिलेट्स/बिलेट्स/इंगाट्स 2x40 टन – 2,64,000 टीपीए), रोलिंग मिल्स (टीएमटी बार/स्ट्रक्चरल स्टील) (हॉट बिलेट्स के साथ 85 प्रतिशत हॉट चार्जिंग और शेष 15 प्रतिशत ईंधन के रूप में एलडीओ के साथ आरएचएफ के माध्यम से – 2,31,000 टीपीए), गैल्वनाइजिंग प्लांट पाइप यूनिट 2x1 एलटीपीए – 2,00,000 टीपीए, कोल वॉशरी यूनिट 2x2 एमटीपीए – 40,00,000 टीपीए, फेरो अलॉयज यूनिट 2x9 एमवीए (FeSi-14,000 टीपीए/FeMn–40,000 टीपीए/SiMn–28,000 टीपीए/FeCr–30,000 टीपीए/पिग आयरन–48,000 टीपीए), ब्रिकेटिंग प्लांट (200 किलोग्राम/घंटा), डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पावर प्लांट–2x10 मेगावाट और 2x6 मेगावाट, FBC आधारित पावर प्लांट–1x30 मेगावाट और ईंट विनिर्माण इकाई (40,000 ईंटें/दिन) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 23.12.2024 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–तुमीडीह एवं पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट की स्थापना जिसमें डीआरआई किल्न्स 2x350 टीपीडी और 2x200 टीपीडी -- 3,63,000 टीपीए), मैचिंग एलआरएफ और सीसीएम के साथ इंडक्शन फर्नेस (हॉट बिलेट्स/बिलेट्स/इंगाट्स 2x40 टन – 2,64,000 टीपीए), रोलिंग मिल्स (टीएमटी बार/स्ट्रक्चरल स्टील) (हॉट बिलेट्स के साथ 85 प्रतिशत हॉट चार्जिंग और शेष 15 प्रतिशत ईंधन के रूप में एलडीओ के साथ आरएचएफ के माध्यम से – 2,31,000 टीपीए), गैल्वनाइजिंग प्लांट पाइप यूनिट 2x1 एलटीपीए – 2,00,000 टीपीए, कोल वॉशरी यूनिट 2x2 एमटीपीए – 40,00,000 टीपीए, फेरो अलॉयज यूनिट 2x9 एमवीए (FeSi-14,000 टीपीए/FeMn–40,000 टीपीए/SiMn–28,000 टीपीए/FeCr–30,000 टीपीए/पिग आयरन–48,000 टीपीए), ब्रिकेटिंग प्लांट (200 किलोग्राम/घंटा), डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पावर प्लांट–2x10 मेगावाट और 2x6 मेगावाट, FBC आधारित पावर प्लांट–1x30 मेगावाट और ईंट विनिर्माण इकाई (40,000 ईंटें/दिन) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 23.12.2024, दिन–सोमवार को प्रातः 11:00 बजे से स्थल–परियोजना स्थल, ग्राम–तुमीडीह, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि

तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के लोगों का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि श्री अरविंद कुमार शर्मा, महप्रबंधक प्रिस्मो स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड की ओर से मंच पर उपस्थित माननीया अपर कलेक्टर महोदया सुश्री संतन देवी जांगड़े, श्री अंकुर साहू, क्षेत्रीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल श्री अंकुर साहू जी, सभी अधिकारीगण तथा पुलिस प्रशासन, लोकसुनवाई में आये हुये जन प्रतिनधिगणों, एन.जी.ओ., पत्रकार बन्धुओं का और ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा ग्राम–तुमीडीह एवं पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में नवीन स्टील उत्पादन इकाई जिसमें डी.आर.आई. किल्न (स्पंज ऑयरन उत्पादन–3,63,000 टन प्रतिवर्ष), इण्डक्शन फर्नेस इकाई (बिलेट या हॉट बिलेट उत्पादन–2,64,000 टन प्रतिवर्ष), रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट–2,31,000 टन प्रतिवर्ष), गैल्वनाईजिंग इकाई (2,00,000 टन प्रतिवर्ष), कोल वॉशरी (40,00,000 टन प्रतिवर्ष), फेरो एलायज उत्पादन इकाई 2x9 एम.व्ही.ए. (फेरो सिलिकोन–14,000 टन प्रतिवर्ष या फेरो मैग्नीज 40,000 टन प्रतिवर्ष या सिलिको मैग्नीज 28,000 टन प्रतिवर्ष फेरो क्रोग 30,000 टन प्रतिवर्ष या पिग ऑयरन 48,000 टन प्रतिवर्ष के उत्पादन हेतु), वेस्ट हीट रिकव्हरी आधारित विद्युत उत्पादन इकाई 32 मेगावाट, एफ.बी. सी. आधारित विद्युत उत्पादन इकाई 30 मेगावाट, फ्लाई ऐश ब्रिक उत्पादन 40000 ईट प्रतिदिन) तथा ब्रिकेटिंग इकाई 200 किलोग्राम प्रतिघंटा की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की स्थापना हेतु 20.187 हेक्टेयर कुल 50.76 एकड़ भूमि लीज पर ली गई है। प्रस्तावित परियोजना की कुल अनुमानित लागत 970 करोड़ है। प्रस्तावित परियोजना के लिये वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इसी तारतम्य में यह जनसुनवाई आयोजित की गई है। हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित डब्ल्यू.एच.आर.बी. युक्त डी. आर.आई. किल्नों में ई.एस.पी. की स्थापना, इण्डक्शन फर्नेस इकाई में बैग फिल्टर, फेरो एलॉय उत्पादन इकाई में बैग फिल्टर, कोल वॉशरी इकाई में बैग फिल्टर तथा एफ.बी.सी. आधारित विद्युत उत्पादन इकाई की में ई.एस.पी. स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सभी प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलिग्राम/घन मीटर से कम के अनुरूप होगी। जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित इकाईयों के लिये 3200 कि.ली./दिन जल की आवश्यकता होगी। जिसे आंशिक रूप से भू–जल स्त्रोतों से तथा आंशिक रूप से कुर्केट नदी से लिया जाना प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग से अनुमति ली जावेगी। प्रस्तावित इकाईयों में क्लोज्ड–सर्किट कूलिंग सिस्टम को अपनाया जावेगा जिससे डी.आर.आई. किल्नों, एस.एम.एस. इकाई, फेरो एलॉयज एवं रोलिंग मिल इकाईयों द्वारा किसी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। पॉवर प्लांट में

एयर कूल्ड कंडेन्सर की स्थापना की जावेगी, जिससे ब्लाल खपत में कमी आयेगी तथा दूषित जल के उत्सर्जन में भी कमी आयेगी। प्रस्तावित परियोजना के संचालन बाद औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन की अनुमानित मात्रा 532 कि.ली./दिन होगी जिसका उपचार ई.टी.पी. में किया जावेगा। उपचार के बाद इसका उपयोग डस्ट सप्रेशन, ऐश कंडिशनिंग, ईंट निर्माण तथा सिंचाई में किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की अनुमानित मात्रा 24 कि.ली./दिन होगी जिसका उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जावेगा। उपचार के बाद इसका उपयोग सिंचाई में किया जावेगा। शून्य निस्तारण स्थिति बनाई रखी जावेगी, जिसस आस–पास के पर्यावरण पर दूषित जल का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। प्रस्तावित परिसर में 7.257 हेक्टेयर भूमि पर हरित पट्टिका का विकास किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित हरित पट्टिका की चौड़ाई 10 से 15 मीटर होगी। हमारे द्वारा परियोजना में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी। सामाजिक दायित्व के निर्वहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सुझायें गये सभी उपायों का अपनाया जायेगा जिससे परियोजना द्वारा आस–पास के क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। हमारी कंपनी आपको विश्वास दिलाती है कि इस प्रस्तावित कारखाने में औद्योगिक नीति 2024, 2030, श्रम कानूनों, पर्यावरण नियमों, कारखाना अधिनियमों तथा लागू सभी नियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना के लिये हम सहयोग एवं समर्थन के हम अकांक्षी हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहां सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. रूकमणी यादव, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
2. मीना यादव – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
3. कलावती, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
4. सुकांति, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
5. जया यादव – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
6. करिश्मा, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
7. गुलवंत, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

8. सुखबाई, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
9. रूकमणी, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
10. पुनी यादव – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
11. सरिता, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
12. दिव्या, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
13. संतोषि, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
14. सावित्री, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
15. संतकुंवर, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
16. अतित बाई, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
17. देवकुमारी, – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
18. निरजा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
19. सीमा, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
20. जमुना, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
21. रिजेश तिर्की – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
22. मीना, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
23. अंजली – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
24. संगीता, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
25. बिंदूलता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
26. बरखा देवी, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
27. प्रिति कुमारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
28. निर्मला – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
29. मनीषा, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
30. रशमिला – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
31. दीपा, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
32. सेवाबाई, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
33. रामप्यारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
34. साधमती, – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
35. उसनिंदी बाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
36. सुरेखा, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
37. राजमती, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

38. संपति, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
39. सकिना, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
40. लक्ष्मी, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
41. सबिना, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
42. रूसनी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
43. दुर्गा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
44. नीला, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
45. बिरजू बाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
46. पुष्पा, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
47. किरण, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
48. सविता, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
49. सकुंतला – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
50. दीपिका – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
51. निला देवी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
52. अन्नू पटेल – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
53. छोटी दास – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
54. पार्वर्ति – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
55. चंदा देवी, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
56. सुचित्रा, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
57. सावित्री, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
58. सुधा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
59. सत्यवति, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
60. अनिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
61. आरती, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
62. मनमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
63. सुनिता, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
64. सग्गु – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
65. सरिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
66. मनीषा, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
67. दिपकिरण – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

68. गीता, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
69. सुची शर्मा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
70. अनुप्रिया – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
71. दीपिका, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
72. जमुना, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
73. ललिता, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
74. बरखा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
75. बसंती, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
76. शशि, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
77. रश्मि – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
78. अनिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
79. दशवंती, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
80. कुली यादव – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन
81. श्वेता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
82. दीपिका, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
83. रजनी, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
84. जननी , सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
85. रत्ना, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
86. सुनिता, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
87. अंजली, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
88. संतोषी, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
89. अंबिका, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
90. उत्तरा बाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
91. गीता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
92. रश्मिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
93. संतोषी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
94. संतोष – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
95. सुरेश, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
96. बोधराम, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
97. अक्षय, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

98. अजितराम, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

99. परशराम, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

100. सुचित, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

101. मालिकराम – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

102. रामप्रसाद, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

103. सुरज – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

104. कन्हैयालाल, सराईपाली – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

105. महकराम, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

106. रामप्रसाद, सराईपाली – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

107. बुधुराम, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

108. हेमलाल, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

109. गुलाब, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

110. विजय, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

111. ऋषिकेश, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

112. वेदराम, पूंजीपथरा – कंपनी वाले नौकरी देने का वादा करते है लेकिन नहीं देते। निजी जमीन ले चुके है लेकिन नौकरी नहीं दे रहा है। मेरा बबा गुजर गया है स्केनिया वाले उसको ध्यान दीजिये। मेरे बाल बच्चे है। मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

113. उमेश प्रधान, सराईपाली – मेरा जमीन 2–3 किलोमीटर है। उद्योग आने से बहुत फायदा है, सबको रोजगार मिला है। आज से 20 वर्ष पहले रोजगार हमको नहीं मिलता था, जीवन का साधन नहीं था। उद्योग वाले बोलते है हम पेड़ पौधा लगायेंगे उसके बारे में ध्यान दीजिये। हमको हवा पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो हम विरोध भी करते है। हम यही से जुड़े आदमी है। मैं मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

114. प्रेमप्रकाश – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

115. विजय – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

116. सोमनाथ – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

117. ओमकार निर्मलकर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है। समर्थन इस लिये कर रहा हूँ क्योंकि इसके आने से विकास होगा और रोजगार मिलेगा। जो सी.एस.आर. मद में आयेगा उससे विकास होगा।

118. उपेन्द्र, सराईपाली – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

119. दिनेश, सराईपाली – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

120. टीकाराम, सराईपाली – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

121. राजकुमार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

122. अनिल राठिया – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

123. निर्मल कुमार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

124. मनोज कुमार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

125. अजय चकोले, रायपुर – आज लोकसुनवाई हो रही है पूंजीपथरा में लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे चालीसा पढ़ा जा रहा है। यहा पर सड़क नहीं है और यहां जमीन का डायवर्सन हीं नहीं होगा तो कैसे होगा। यहां 40–50 टन के गाड़ी चलेंगे। 10 टन के रोड में 40 टन का गाड़ी नहीं चलना चाहिये। रोड की कैपेसिटी है तो दिया जाये। कंसलटेंट को ऐसा रिपोर्ट ही नहीं बनाना था, कंसलटेंट फर्जी रिपोर्ट बनाकर पैसा लेते है इनको बैन करे। यहां एस.टी.पी. लगाने को बोला था, यहां ई.टी.पी. प्लांट भी लगाना चाहिये। यहां का गंदा पानी नाले में जाता है। वायु प्रदूषण में यहा क्या गैस निकलेगी उसका उल्लेख नहीं है और इसका निराकरण कैसे होगा इसका भी उल्लेख नहीं है। मैं दिल्ली में भी बोलूंगा ऐसे प्लांटो को मंजूरी मत दे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये मंजूरी नहीं दिया जाये।

126. शालिनी साहू, तुमीडीह, – यहां सब समर्थन दे रहे है प्रदूषण को कोई नहीं देख रहे है। मैं गांव वाले से भी उम्मीद रखती थी कम से कम एन.ओ.सी. के लिये मना कर देते। यहा वन संरक्षण के लिये ध्यान दिया जाये। यहां प्लांट होने के कारण पूरा डस्ट हो रहा है। यहां समर्थन के लिये बाहर से आ रहे है, पैसे से सब को खरीद कर प्रलोभन दिया जा रहा है। प्लांट खुलने के लिये मंजूरी नहीं दिया जाये।

127. देवेन्द्र, जशपुर – यहा को जो माहौल है उसके लिये घर को लीपने के लिये मिट्टी कहां से मिलेगा। मैं यहां का नहीं हूँ।

128. नंदू भगत, झारखंड – मैं किसी का नुकसान नहीं किया हूँ मेरे को डस्ट हो रहा है। हमारा एन.आर.टी.एम. टी. में प्रदूषण हो रहा है। जो मेहनत करते है पैसा ले। संजित भैया के नाम से मैं समर्थन करता हूँ। हामनला प्रदूषण नहीं चाहिये बस खाना चाहिये।

129. भदाई राय – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

130. गुड़िया कुमारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

131. विजय कुमारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

132. विपिन डनसेना, चिराईपानी – आदरणीय पीठासीन महोदय को मेरा प्रणाम विपिन डनसेना मूल निवासी चिरईपानी गेरवानी वर्तमान में साराईटांगर का निवासी हूं। मैं इस जगह में रहते हुए मुझे पता नहीं है की फैक्ट्री कौन सा है मैं पढ़ा लिखा हूं ज्यादा तो नहीं पढ़ा हूं 11वीं पास हूं किसान हूं मैं कुछ बातें आपसे पहले जानना चाहता हूं पहले क्या समय लिमिटेड है कि नहीं है इसका जवाब मुझे पहले दिया जाए बोलने का समय जी मैडम दूसरा सवाल क्या जो भी बोलने आता है हां या नहीं उसकी कोई औचित्य है

कि नहीं मैं समर्थन करता हूं या करती हू क्यों करता है और विरोध करता है तो क्यों करता है जब तक समर्थन करता है तो कारण बताएं विरोध करता है तो कारण बताएं ऐसे लोगों का जो खाली समर्थन करता हूं उनको दर्ज नहीं किया जाना चाहिए यह मेरी मांग है। क्या मतलब है क्यों समर्थन किया किसके लिए समर्थन किया पता ही नहीं है और हम जब न्यायालय में जाते हैं तो पूछा जाता है कहां के हो कहां से आए हो आधार कार्ड पूछा जाता है यह लो यह यहां सर कौन सा नियम लागू होता है बाकी बातें तो बाद में प्रदूषण के बारे में बात करेंगे मेरी इन समस्याओं को समाधान क्या है इसके बारे में बताइए जितने भी समर्थन किए हैं अभी किसने बोला है कि मैं इसलिए समर्थन करता हूं क्या औचित्य है ऐसे समर्थन का ऐसे विरोध का क्या यह सरकार और यह फैक्ट्री वाले केवल चावल बांट कर और पैसा बांटकर समर्थन लेंगे तो हम किस कहां जाएंगे आपको इस निगरानी के दायित्व बनता है। क्या आप अपने निगरानी के दायित्व में खरा उतर रहे हैं मेरे सारे एक–एक शब्द नोट होना चाहिए ताकि मैं आगे की कार्यवाही करने वाली कॉपी भी चाहिए आज प्रश्न उत्तर भी चाहिए मुझे जिन जिन प्रश्नों को मैं रख रहा हूं अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं देखा यह मेरा पहला मांग है कि ऐसे लोगों को बोलने की अनुमति नहीं दिया जाए जो कारण ना बताया चाहे समर्थन का हो या विरोध का हो कोई औचित्य नहीं है ऐसे समर्थन ऐसे विरोध का तीसरा चीज में जानना चाहता हूं इसका रेडियस कहां तक है मुझे इस फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है चाहे आम हो या इमली हो मेरे को उसे मतलब नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं आपसे की कितने कितने दूरी तक आता है इस प्रदूषण की थोड़ा सा यह स्पष्ट करिए कंपनी के अधिकारी को बताएं की कितनी दूरी तक आता है और कहां तक उन्होंने सूचना दिया है। आप या सामने में पेश करें उसके बाद में बोलूंगा मुझे मालूम है कहां तक दिया गया क्यों नहीं दिया गया है इसका कारण क्या है चंद पाटटेदार नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं यह समस्या है पहले आप बताइए फिर मैं अपनी समस्या को बताऊंगा और किस–किस गांव को उन्होंने दिया है अभी फैक्ट्री के मालिक ने बोला कि हम यह करेंगे वह करेंगे तो मेरे पहले इस प्रश्न का जवाब नहीं कि इसकी दूरी कहां तक है फैक्ट्री का प्रदूषण संबंधित कितने लोगों को सूचना दिया गया था यह जानकारी मुझे पहले दिया जाए इतने बोलने बताइए मैडम अपने को तो मालूम है आप लोग कार्यवाही कर रहे हैं कहां तक इसकी दूरी है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा कहा गया की इस संबंध में पर्यावरण अधिकारी के द्वारा आप लोगों को सब कुछ बताया गया था इसकी सूचना का प्रकाशन किया गया था आपके जो पर्यावरण मुद्दे हैं वह बताइए उसको अंकित किया जाएगा आपका उत्तर अंत में दिया जाएगा। अंत में भी बैठूंगा मैं और यह जरूरी है बताना इसलिए इसको नोट किया जाए जो भी इसके ओनर है और स्पष्ट करें दूरी कितने हैं 8 किलोमीटर की परिधि के अंत में जानता हूं सुना हूं वायुमंडल की दूरी 8 किलोमीटर होती है और यह गियर वाली नहीं आता इस परिधि में यह पहाड़ काट के 8 किलोमीटर का पहाड़ है कहां से वायु मार्ग मिल गया गेरवानी 8 किलोमीटर के परदे में नहीं आता वह दुनिया बनाने वाला धन्यवाद है भगवान देख रहा है तेरे को गिरवाई नहीं है दिलाई नहीं है लाखा

पंचायत नहीं है क्या प्रदूषण वहां नहीं जा रहा है 8 किलोमीटर की परिधि में नहीं है ऐसे हैं एनआईआर ऐसे लोगों का सरकार जीवन बनती है तीन मांगे हैं इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए आगे आप पहले हम वायु प्रदूषण को लेते हैं दूरी कहती है 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी में वायु प्रदूषण उससे ज्यादा नहीं जाता है इसकी मानना सरकार की मानना और जो जो है उनके अधिकारी आज समझ में पूंजीपथरा में फैक्ट्री है उसे फैक्ट्री का धुआं गर्दा क्या वातावरण में नहीं घुल रहा है और खुल रहा है तो इसका इलाज क्या किया कौन सा काम किया मैं अभी अपने गाड़ी से आया हूं और वहां से आने के बाद आप देख सकते हैं कि पहचान में नहीं आता की मेरा गाड़ी है कि नहीं है। मेरा यहां की हाल है प्रदूषण की आजकल क्या टेटू बनाकर बोलते हैं आज की भाषा मैं नहीं जानता क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूं 65 साल हो गई मुझे आज बोलते हैं आज टेटू जो धरती मां के सीने में बनाते हैं कोई भी पेड़ जहां इतने लोग बैठे हैं जो समर्थन कर रहे हैं जो नेता हैं अधिकारी हैं समस्त अधिकारियों को मैं चुनौती देता हूं चलिए मेरे साथ में पेड़ को पहचान कर बता दीजिए की साजा का पेड़ है सराई का पेड़ है की महुआ का पेड़ है पहचान में नहीं आ रहा है यह प्रदूषण के हाल अगर है यहां कोई हिम्मत तो बताएं कि पहचानता हूं मैं लेकर चलता हूं अभी यहीं पर यहां से मात्र 100 मीटर की दूरी क्या यह सब सरकार को दिखाई देती प्रदूषण हो रहा है सबको मालूम है। पता नहीं किसी रिश्तेदारी से किस वजह से दबे हैं शासन और प्रशासन ओ तो समझेंगे लेकिन हाल बुरा हाल केवल किसान का है मजदूर बाहर से आए यहां आते हैं चाहे बिहार हो उड़ीसा हो कहीं कहीं से आते हैं हर जगह है किसान कहां जाएगा ना तो उसमें धन हो रहा है मूंगफली हो रहा है ना उड़द में तिल ना भाजी मुनगा भाजी भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है अगर है कोई इसी इलाके का तो पूछ कर देखिए झूठ बोल रहा हूं क्या मैं क्या मुनगा भाजी खा सकता है क्या लाली भाजी खा सकता है। 2 किलो चावल देती है सरकार और बोलती है खाने के लिए दे रहे है अरे किस है स्वाभिमान जिंदा है ऐसी सरकारों को नहीं खाते हैं मेहनत और कहते हैं पसीने का खाते हैं किसान कहां जाएगा इतनी फैक्ट्री लगेंगे अगर इतना फैक्ट्री लगाना है सरकार तो प्रशासन तो क्यों नहीं इसको उद्योग जोन घोषित किया जाता है। इतनी सुविधा क्यों नहीं देती हैं किस कारण से नहीं देती है कौन सा सरकार कर्ज खाया है इन उद्योगपतियों का कितना कर्जा खाया है तो हम किसानों को बोले हम एक रुपए चंदा करके उसको छोड़ देंगे मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं सरकार के लिए घर के अंदर में भी घुस जाओ सांस लेने का जगह नहीं है अभी आया तो गेट में रोक रहे हैं मास्क लगाओ मास्क लगाओ खेतों में किसान खेती करने जाएगा मास्क लगाएगा और सामने में गेट में खड़े हैं को मास्क लगाओ 24 घंटा घर के अंदर सोए हैं तब भी वायु प्रदूषण खुश रहा है नाक में कान में सांस ले रहे हैं उसको कौन देखेगा किसके पास जवाब है। इसका यह है वायु प्रदूषण के ही बारे में बात करेंगे क्या यह प्रदूषण नहीं है और यदि प्रदूषण है तो इसका निदान क्या है कितने कितने फैक्ट्री में वायु प्रदूषण रोकने की व्यवस्था की गई कहीं कुछ नहीं शासन की निगरानी में प्रशासन की निगरानी में क्या है निदान इसका काम हो

रहा है मास्क का लगाओ हम मास्क लगाए हमारे पास तो एसी कार नहीं है ना घर में एसी लगा है तो हमारे घर में तो घुसेगा ही वायु और वायु घुसेगा तो हमारे नाक में जाएगा सांस में जाएगा हम तो 65 साल के हो गए रिटायर हो गया लेकिन हमारी पीढ़ी है क्या करेंगे दस्त खाएंगे धूल खाएंगे कोयला के चुरा खाएंगे क्या कहेंगे क्या है निदान इसका मैं कल जनसुनवाई में प्रश्न रखा मेरे किसी समस्या के निदान हुआ इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा आज बोला जाता है जो बोलना है आप बोलिए वायु प्रदूषण के बारे में हम अकाउंट में बताएंगे और लास्ट में क्या बताएंगे हां इन समस्या को दूर किया जाएंगे लिखित दस्तावेज कहीं कुछ नहीं हाथी पादे हाथी पादे फस छत्तीसगढ़ी कहावत है छत्तीसगढ़िया तो हूं इस वायु प्रदूषण को रोकने का क्या उपाय हुआ है और इसकी इलाज के लिए क्या कर रहे हैं इतने सारे उद्योग हैं पूंजीपथरा गेरवानी में सरायपाली समारूमा क्या इनके द्वारा स्वास्थ्य कैंप लगाया गया वायु प्रदूषण के कारण सांस का बीमारी होता है दुनिया भर का बीमारी होता है कितने लगाया गया कितने गांव में कैंप लगाया गया कितने की इलाज कराया किसी के पास आंकड़ा है सरकार के पास आंकड़ा है कि प्रशासन के पास आंकड़ा है। वाह रे सरकार वर प्रशासन कुंभकरणीय नींद में सोए हैं। कुंभकरण हो गए 6 महीने बाद उठेगें फैक्ट्री लग जाएगा उत्पादन चालू हो जाएगा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा जो उसकी व्यवस्था है ना सरकार करना चाहती हैं ना सरकार इनको मारना चाहती है घुट घुट के मरने से अच्छा जो खांसी दमा में मरोगे नपुंसक होके मरोगे उससे तो अच्छा इंजेक्शन देकर मार दें तड़प तड़प के तो नहीं मारेंगे एक बार मरेंगे हमारे देश में एक समुदाय होता है हलाल करते हैं, तो हम लोगों को सरकार हलाल कर रही है मरने से पहले झटका देखे नहीं मारते हमारे हिंदू वाले एक बार में साफ और अपने आप को हिंदू को समर्थक मानते हैं। यह जो सरकार चलती है एक बार झटका मार के खत्म करो ना हलाल क्यों कर रहे हो अपने आप को साबित करो कि मैं हिंदू हूं झटका मारो एक बार में साफ करो हम बहादुरी के साथ मरने के लिए तैयार हैं लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी किसकी जवाबदारी है मैं किसको जवाबदारी मानूंगा मेरा गलती यह है कि मेरा बाप ने मुझे पैदा किया मैंने अपने बच्चों को पैदा किया अगर मुझे पता रहता है तो मैं औलाद ही पैदा नहीं करता शादी में नहीं करता किस क्षेत्र में इस देश में ऐसा होता है मगर मुझे मालूम होता तो अंधी बहरी गूंगी सरकार और उसके पत्तेदारी नेता चाहे वह किसी पार्टी का हो हमने 5 साल उनका भी देखा 5 साल इनको भी देखा यह रोना रोते आ रहे हैं जब भी आ रहे हैं चिल्ला रहे हैं वायु प्रदूषण से मार रहे हैं वायु प्रदूषण से मार रहे हैं दुष्ट हो रही है। सांस लेने की जगह नहीं है इस 10 साल में कितने फैक्ट्री लगे हैं यहां पर क्या इतने लोगों का इलाज कराया है उन्होंने किसी का नहीं इलाज करा कर थक गए हैं सरकार ने कार्ड दिया है चार लाख का बोलते हैं हमारा महोदय जी से इलाज कराओ इलाज भी नहीं हो रहा है झुनझुना दिखा दे रहे हैं बस कागज थमा दे जा बेटा लॉलीपॉप खा ले इसका इलाज क्या है ध्वनि प्रदूषण का अगर इलाज है तो कितने फैक्ट्री के द्वारा किया गया है कितने उद्योगों में लागू है यह तो वायु हो गया जिससे हम पीड़ित है

पीड़ित रहेंगे यह कटु सत्य है इसको कोई नहीं हटा सकता आज आप हैं कोई भी आएगा वही करेगा जो आप कर रहे हैं क्योंकि ऊपर में बैठे हैं महानुभाव लोग उनका खेल है नीचे मुझे बैठा है वह कुछ जानते ही नहीं है मैं दांत देता हूं एक छोटी सी बिटिया आई थी अभी कम से कम उसने साहस किया बोलने का उसे बिटिया को धन्यवाद देता हूं ऐसे चाहोगे हर घर में ऐसे बिटिया पैदा हो मेरा कोटि–कोटि आशीर्वाद है उस नन्ही बिटिया का जब तक हर घर में ऐसी बिटिया पैदा नहीं होंगे ऐसे बेटा पैदा नहीं होंगे तब तक ऐसे उद्योगपतियों से सरकार ऐसी प्रशासन चलता रहेगा यह कटु सत्य है थोड़ा सा और आगे बढ़े जल प्रदूषण हमें बोर खुदाते हैं किसान है उसके लिए परमिशन लगेगा कैसे अपने बर खुद लिया घर में चार अधिकारी आ जाएंगे आपने कैसे बोर खुदा है परमिशन कहां है सरपंच जाकर शिकायत करेगा सरपंच और पांच की फलना बोर खुदवाया है खेती के लिए पानी नहीं है इस धरती पर से 3 एचपी का मोटर नहीं लगा सकते लेकिन एक हजार छेद कर देंगे अपने प्लाट पर उनके लिए कोई नियम नहीं कोई कानून नहीं और समानता का अधिकार के बात करते हैं। हमको एक बार खुदवाने का अधिकार नहीं है यहां पानी पीने का अधिकार नहीं हमको यहां सरकार बना दिए एक टंकी पानी सप्लाई ही नहीं उसमें टंकी बन गया बोर है तो टंकी नहीं है टंकी नहीं तो बोर नहीं है अब बोर हो तो टोंटी नहीं है है तो पानी नहीं जा रहा है और हम खोद दिए तो हो जाएगा छेद किसान का असहाय है पानी के लिए, जो आता है ठोकर मार के चला जाता है क्या प्रमाण है कि इतना पानी चौलेंज इतना पानी कुरकुट नाला कुरकुट नदी का दाम जिंदल ने बनाया है रिश्तेदार है कंपनी का कागज में दे दिए आवेदन वहां से लेंगे से लेंगे समर्थन मिले ना मिले कोई पानी देना दे लेकिन हो जाएगा व्यवस्था कैसे हो जाएगा व्यवस्था क्यों पहले से नहीं कर के लाया यहां से पानी लेंगे करके धरती को 1000 छेद कर दें भविष्य में पीने के लिए पानी नहीं बचेगा जो भूजल स्तर बोलते हैं आप लोग हमारी भाषा में हम बोलते हैं कि 40 फीट कोडाए रहेंगा पानी नी जींस पहले 10 हाथ में पानी निकलत रहीस 40 हाथ में पानी नहीं है कुआं को डालें बोर कोड़ा लिए 50 फीट को डालिए उसके बाद भी गर्मी के सीजन में पानी नहीं आ रहा है नया बीमारी आ जाता है सांस बढ़ जाता है बोर का क्योंकि पानी नहीं है लेकिन उद्योग के लिए पानी है किस को इतनी क्षमता नहीं है 1000 फुट कोड़ ले मैं मानता हूं कि मैं किसान हूं 1000 फुट चाहिए मेरी क्षमता कहां है 1000 है कि नहीं क्षमता 200 फीट कोडाऊंगा मैने अगर खेती कर भी लिया तो फसल मर जाएगी धान नहीं लगा सकते भूजल स्तर का उपयोग होगा आदेश जारी कर देते हैं उनके लिए नहीं होता उनके लिए लागू है समानता का अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार उनका सुना जाएगा हमारा नहीं सुना जाएगा कौन है इस धरती में हमारा सुनने वाला रक्षक भक्षक बनकर बैठा है और यह पट्टेधारी नेता समर्थन कर रहे हैं। एक पट्टा लगा लिए उनका समर्थन जायज है उनका कोई दबाने वाला नहीं है उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगा क्योंकि चंद पट्टेधारी नेता ने साइन कर दिया इसमें एनओसी दिया जाए उनका लागू है क्या जंक्शन वही नहीं होना चाहिए गांव में त्रिस्तरीय पंचायती राज का क्या अर्थ होता है अगर है तो बताएं मुझे कितने

पंचायत ने एनओसी दिया है अगर नहीं दिया गया है जनसभा लेकर तत्काल निरस्त किया जाए इसको एक सेकंड किया जाना चाहिए किस ग्राम पंचायत से एनओसी लिया है चार मेंबर सरपंच को बुलाकर पॉकेट गर्म करके रिश्तेदारी निभा के एनओसी ले लिया तो हो गया क्या ओ हमारा मुखिया है क्या हुआ सरपंच जनता से वोट लिया है वह तो चार मेंबर से वोट लिया है उसकी बात को मान गए तो पब्लिक कहां जाए किसके पास जाए ना किसी जगह से परमिशन लिया है और रहिए तो नीचे खोदने वाली बात होगी हम कितने अंदर जाते हैं और कितना पानी मिलता है अब जो नालिया बह रही है नदिया बह रही है जो तालाब है उनकी दुर्दशा देखी आपने इस रास्ता में आया होगा बगल में तालाब है आपको याद होना चाहिए कि मैं केलो डेम का पानी भर के लिया था आपने आज तक कार्यवाही नहीं कि मुझे याद है इस तालाब को पार करके है क्या इसका पानी मुंह धोने लायक है अगर यह अपनी मुंह धोने लायक है तो सब को यहां पर ले जाकर मुंह धुलाया जाए उनको पानी पिलाये हम इसी तालाब को पानी पीते थे इस तालाब को पानी पीते थे आज वह तालाब नहाने लायक नहीं रह गया अब नहा लीजिए महोदय जी तुरंत डॉक्टर पास ले जाना पड़ जाएगा आपको क्या जितने भी यहां आए हैं सज्जन लोग क्या उसे पानी को नहीं देखे वह पानी की स्थिति उनको पता नहीं है कौन से कलर का चश्मा लगा है काला कलर का लाल कलर व्हाइट कलर जिसमें सब निर्मल दिखता है। हम उपयोग करते थे यहां के पानी को वह पानी में तो मुंह धोने लायक है ना पीने लायक अभी इतने सारे फैक्ट्री लगे हैं। पहले गुरु जी पढ़ाते थे कि वर्ष का जल नालियों के द्वारा बढ़कर नदियों में जाता है और जल प्रदूषित हो जाता है तो क्या गुरु जी मूर्ख था क्या मैंने जो पुस्तक पढ़ा था वह खराब था सिलेबस को बनाया किसने था यही सरकार थी इन्हीं लोग बनाए थे और वही शिक्षक पढ़ाते थे और उसको हमने पढ़ा है नाली में बहकर पानी जा रहा है नालियों को पानी गंदा है और नालियों को पानी बरसात में नदियों में जा रहा है तालाब में जा रहा है और पानी को दूषित करो इनका घर में तो एसी लगा है फिल्टर लगा है पता नहीं क्या-क्या लगा है हमारे पास तो कुछ नहीं क्या वह सिलेबस गलती है क्या पानी साफ है हम लोग बोलते हैं चीला रोटी छत्तीसगढ़िया चिला रोटी ला एती पकथे तो ओती पलट दें थन उसने यहां सरकार होते सरकार बोलती हम ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे और कुछ नहीं वाह रे सरकार खेल नदी का महा आरती करने जा रहे हैं पहले जल शुद्धिकरण करो आरती करो आरती करो करो उसे जल का आरती करने से शुद्ध हो जाएगा। पहले एक नारा गया था हिंदू मुस्लिम भाई-भाई अरे भाई-भाई का नारा देखना क्या जरूरत है असली में दिखाओ ना कि वालों की भाई हो भाइयों की कसाई हो हमको तो कसाई नजर आता है जो भी आता है उसको जल शुद्ध कर देंगे बाहर निकलेंगे चाहे खेल नदी की सफाई हो चाहे नालियों की सफाई हो सब जगह वही हाल है सब जगह का पानी गंदा उद्योगों का दूषित पानी नदियों में जा रहा है मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोगों की भाषा में एग्जांपल मोर भाषा में साक्ष्य अगर कोई मछली खाता है यहां तो किलो नदी का मछली खा कर दिखा दे आप पहचान नहीं पाओगे राहु की कतरा है

कलर चेंज होगा ना उसमें स्वाद है न कुछ है क्यों इस जल प्रदूषण के कारण सरकार कहते हैं एवं पैसा के दे रहे हैं मछली पालन करो पैसा ले लो बिना जमानत का उसको बोलेंगे तो खाएगा कौन मछली खाने लायक नहीं है यह जल स्तर का प्रदूषण है यहां पर गांव का कुआ तालाब को तो बात ही अलग गंगोत्री की तरह स्वच्छ जेल हमारे यहां जहां गंगा का उद्गम होती है निर्मल जल उसे कहते हैं ऐसा कहते हैं हमारे औकात के कहां उस जगह जाने की किसान का औकात नहीं किसान का घर से बाहर जाने का नहीं है उस जल के बारे में क्या किया हमेशा मुद्दे उठाते हैं जल के बारे में चाहे जयंत बहीदार हो त्रिपाठी जी हैं चाहे सविता दास है और भी दो–चार साथी हैं जो इस बात को उठाते हैं लेकिन उनके चिल्लाने का आज तक क्या असर हुआ नदी का कि तालाब को जल शुद्ध हो गया क्या उत्खनन बंद हो गया इन्होंने डंके की चोट पर कहा कि हम जल स्रोत से पानी निकालेंगे किसान कहां जाएगा। अगर सरकार में इतनी हिम्मत है प्रशासन में इतनी हिम्मत है तो मेरी सारी जमीन लेने में देने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान चला जाऊंगा ऐसे हिंदुस्तान में क्यों रहूंगा हर वैसे एक चीज और बता दूं कि मैं इस देश का नागरिक भी नहीं हूं क्योंकि जो आप लोग जो नक्शा काटते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है मेरे गांव का नक्शा तो इस देश के निवासी थोड़ी है पहले घोषित कर दिया सरकार थोड़ा बहुत तो संपत्ति उसका दे दो पैसा भाई मैं चला जाऊंगा पाकिस्तान खाली स्थान जहां है वही ग्रहण कर लूंगा मुझे कोई गम नहीं है ऐसे में क्या रहना जहां पीने को पानी ना मिले जहां शुद्ध हवा ना मिले जहां नदी हो जहां घर हो उसे क्षेत्र में निवास करते हैं ना तो पीने के लिए पानी है ना तो हवा है और 1001 डॉक्टर घूम रहे हैं आप चले जाइए यहां सुविधा केंद्र खोले हैं यह खोले हैं वह खोले हैं झोलाछाप डॉक्टर हैं ना स्वास्थ्य का कोई सीमा है। स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं ना तो नर्स है आज तक नर्स की भी जरूरत नहीं है डॉक्टर दूर की बात है क्या होगा इस देश का जल नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा जीने के लिए पानी चाहिए शुद्ध जल चाहिए पानी के लिए है पानी कहां आप बोर का पानी पी नहीं सकते यह स्थिति बन गई है उसे पानी को पीने से डाइजेस्ट नहीं होता पाचन क्रिया नहीं हो रही है तो और उद्योग लगेंगे तो क्या होगा ऐसी धरती माता का बलात्कार हो रहा है अत्यधिक बोर खुद के अत्यधिक पेड़ों को काटकर उसके श्रृंगार को तार तार कर दिया जा रहा है धरती माता को कौन देखेगा इसको कौन जिम्मेदार है इसके लिए क्या भगवान आएंगे। जल स्रोत की इकट्ठा करने के लिए जल स्रोत को शुद्ध करने के लिए दायित्व किसकी है कौन पूरा करेगा क्यों आग्रह नहीं करते बोर खुदवा आएंगे अगर बोर खोदने का जांच करें कड़ाई से अगर गहराई से जांच किया जाए एक–एक उद्योगों में 20–20 बोरवेल है लिखते हैं चार बोलते हैं हमारे पास तो बोर ही नहीं है गलती नहीं है किसी की किसी के पास आंकड़ा नहीं है। जल विभाग के पास आंकड़ा है ना प्रदूषण विभाग के पास आंकड़ा है उनके यहां कितने बोर हैं कोई आंकड़ा नहीं है पानी कहां से आएगा इस पानी की व्यवस्था के लिए क्या उपाय है उनके पास भूजल स्तर बनाए रखने के लिए कौन से उपाय हैं। इनके पास जो 200, 300 फिट नहीं खींचता है पानी 40 फीट में कैसे आएगा कौन लेगा इस तरह बोर खोद के

और 40–50 बोर खुदवाऐंगे इस जगह पर न कुआ नहीं न पानी नहीं सुरक्षा व्यवस्था नहीं नौकरी योग्यता अनुसार नौकरी देंगे अरे किस उद्योग में स्थानीय लोगों को योग्यता का आधार पर नौकरी दिया है कोई कागज तो दिखा दे पेपर में आंकड़ा तो दिखा दे लगना तो दूर की बात है मैं देखता हूं मैं जानता हूं कितने लोग नौकरी पर है नौकरी देंगे गार्ड में रख लो ना मुझे नौकरी दे दो जमीन ले लो मेरी मैं भी गेट में कम से कम डंडा लेकर बैठ तो सकता हूं चापलूसों को नौकरी दिया है आप लोगों ने कुछ नहीं पता ना कोई आंकड़ा है और नौकरी देंगे तो क्यों धोखा दे रहें है स्थानीय लोगों का पढ़ाई क्या उसके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है कितना पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिलेगा कितना बड़ा चमचा है कितना सेवा कर सकता है उद्योगपति का और उसमें रहने वाले जीएमसी उनका क्या भाषा बोलते हैं हम तो छत्तीसगढ़ीया हैं उनकी सेवा कौन कर सकता है कौन पट्टाधारी उनके साथ जाएगा मुझे नौकरी लगा दो वैकेंसी में नहीं बुलाएगा नहीं किसी को पंचायत मैं बुलाएगा हम लोगों को बुलाएगा आज और पट्टाधारी का साइन होगा तो नौकरी देगा जागो जागो नींद में धूत मस्त लोग कल तुम्हारी भी बारी आएगा तो नौकरी मिलेगा नहीं मिलना है नौकरी आप बड़े–बड़े अच्छे भाषण देकर नौकरी लगाएगी यह करेंगे आज तक तो नौकरी लगी नहीं गार्ड का नौकरी नहीं देंगे और उत्तर प्रदेश बिहार से लाएंगे गार्ड का नौकरी के लिए हमको नहीं मिलेगा उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कुछ नहीं चाहिए उनको मिलेगी जो उत्तर प्रदेश से बिहार से आएंगे अधिकारी को कमीशन देगा उनका नौकरी लगेगा और पट्टाधारी नेता जाएंगे तब नौकरी लगेगा। हर प्लांट में कुछ ना कुछ पट्टाधारी नेता है वह जाएंगे तो नौकरी लगेगी। तो हमारा बालू लगा हमारा लकड़ी लगा अगर कोई पट्टाधारी नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं देगा नौकरी के लिए दर भटक रहे हैं क्या यह मेरा मांग है जो भी उद्योग जहां स्थापित होता है मापदंड के अनुसार हो अगर होता है तो हो ग्राम पंचायत में सारे बेरोजगारों को चाहे महिला हो पुरुष हो सबको बुलाए और वहां पर उनको भर्ती हो ना की रोजगार कार्यालय रायगढ़ में हो फैक्ट्री उसको लगाना है गांव में उद्योग लगाना है रायगढ़ में पट्टाधारी नेता आएंगे नौकरी लगाने के लिए मेरा आदमी को लगा देना ओ लग गया है। उसको कुछ नहीं आ रहा है तभी उसकी नौकरी लग जाएगा लेकिन मैं क्वालिफाइड हूं लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि मैं किसी नेता का सपोर्टर नहीं हूं किसान हूं खुद्दार हूं एक खुद्दारी की सजा है हर किसान खुद्दार होता है मेहनत का खाता है। तो नौकरी का यह हाल है नौकरी लगा नहीं है और किसको हम लेकर जाएं मैं एप्लीकेशन देता हूं मेरा नौकरी लगाऐं। आपने कहा है लास्ट में बताएंगे नौकरी के लिए एप्लीकेशन देता हूं मैं मुझे नौकरी दे खेती को तो खा लिया प्रदूषण जल खत्म हो गया जल है ही नहीं खेती तो कर सकता नहीं क्या करूंगा मैं तो जाट का कलार हूं दारू बेचने का काम है धर्म के अनुसार नौकरी दिया जाता है मिल जाती का कलार हमरे पूर्वज पहले दारू बनाने काम कर रहे हैं दारू बनाऊंगा मैं दारू बेचूंगा मेरा क्या है दारू तो सरकार बेच रही है मुझे तो बेरोजगार ऐसी बना दिया वाह रे सरकार वाह देश के नेता अपने स्वार्थ के हिसाब से करें लेकिन सामने के स्वार्थ वाले का कोई कुछ

बात नहीं करेगा नौकरी गई खेती भी गया पानी भी गया तो जिंदा किस भरोसे रहूं कौन सा काम करूं गाय बैल पाल के खेती करते थे गाय बैल दर्शन के लिए नहीं है गाया और बैल खाएंगे क्या फसल होती नहीं जो भी फसल होता है इतना प्रदूषण होता है जानवर तक नहीं खा रहे हैं खाने के लिए घास नहीं है। खेती कहां से होगी मेरे के लिए क्या उपाय किया है किसान लोगों के लिए सरकार के पास कौन सा उपाय है सरकार के पास मैं कौन सा काम करूं आप ही लोग बताइए खेती गया पानी नहीं है काम क्या करूं। ध्वनि प्रदूषण की बात कर ले लाउडस्पीकर चलाओ हल्ला है बंद करो हमारे गांव देहात में रेडियो चलाते हैं त्यौहार है तो लाउडस्पिकर चलाते हैं परीक्षा चल रही है लाउडस्पीकर बंद करो माइक आप यहां हल्ला नहीं कर सकते और वही इंसान जो है रात को रात दिन ओंए ओंए करते–करते हजारों की गाड़ियां चल रही है वहां ध्वनि नहीं होता है लेकिन गांव में जरा सा खुशी मनाने के लिए आदमी माइक चलता है तो तो पूंजीपथरा का पुलिस आजायेगा बंद कर नहीं तेरे को अंदर कर दूंगा ओ मुझे बंद कर दिया जाएगा ऊपर से उसको आदेश है ध्वनि नहीं कर सकता। फैक्ट्री से निकलने वाली चिमनियों का जो आवाज आता है ओंए ओंए वह ध्वनि नहीं है इतना आवाज छोड़ते हैं कभी–कभी कान के पर्दे फट जाएंगे लेकिन वह ध्वनि नहीं है ध्वनि सिर्फ मेरा लाउडस्पीकर का है कि मैं अपने बच्चों के जन्मोत्सव कर रहा हूं वाह रे ध्वनि का परिभाषा उसका क्या इलाज है दिन में 24 घंटा है लेकिन हमको लगता है प्रदूषण की वजह से 36 घंटा है 24 घंटा होता है लेकिन 36 घंटा लगता है एक सेकंड के लिए बंद नहीं है ना तो चिमनी बंद है ना तो फैक्ट्री की आवाज बंद है ना गाड़ियों का आना जाना बंद है वह ध्वनि प्रदूषण नहीं है क्या ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है अगर नहीं होता तो मुझे लाउडस्पीकर चलाने का अनुमति दीजिए मैं जो भी उत्सव बना उसमें खूब ध्वनि बजाऊं उसमें रोक नहीं लगना चाहिए लेकिन सौतेला व्यवहार बंद करो यह सौतेला व्यवहार बंद करो यह नौटंकी बंद हो यह खोखले संविधान बंद हो समानता समानता का अधिकार रोज चिल्लाते हैं यह क्या होगा समानता के अधिकार के बात करते हैं। उद्योग करे तो प्यार हम करें तो बलात्कार यह सिद्धांत चल रहा है वह ध्वनि करें तो कुछ नहीं हम लाउडस्पीकर चलाएं तो हम बलात्कारी हो गए। कौन सा पॉइंट्स में गलत बोला हूं अगर गलत बोला हूं तो सजा दीजिए मुझे मैं लिंक्स से अगर बाहर गया हूं तो मैंने पहले ही प्रश्न उठाया है था मैं जानता हूं इसीलिए मैं पहले प्रश्न उठाया था की बोलने की लिमिट क्या है, माननीय महोदय जी आएंगे बोलेंगे तो कोई रोक–टोक नहीं बोलेंगे इसलिए मैं पहले प्रश्न रखा था अगर मेरा प्रश्न रखना जायज है तो मुझे बोलने दिया जाए अगर नाजायज है तो यहां पर स्टॉप कर दीजिए मैं बंद कर देता हूं। मैं जो भी प्वाइंट्स बोल रहा हूं सर देखिए मैंने पहले जल प्रदूषण के बाद कहां वायु प्रदूषण के बाद कहां पर ध्वनि प्रदूषण की बात कही तो इसमें अन्याय कौन सा है यदि गलत बात है तो बोलिए सर टाइम क्यों नहीं बनाया आपने महोदय जी मैंने प्रश्न रखा था मैं मैं पॉइंट्स में ही बात कर रहा हूं आप किस किसान की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं आप मेरी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं चलिए यहां मेरे साथ में छर्राटांगर है बगल में यहां भी मेरी जमीन है चलिए मैं

दिखाता हूं प्रदूषण का स्तर अगर मैं गलत बोल रहा हूं तब जो सजा देंगे मुझे स्वीकार है जो सजा देंगे स्वीकार है और मैं लिख से बाहर नहीं गया हूं नजर जाऊंगा बड़े नेताओं को डर नहीं रहता कानून को डर नहीं रहता पर मैं किस हूं मुझे डर लगता है क्यांकि मैं किसान हूं किसान को बेसहारा बेचारा पता नहीं क्या–क्या कहा जाता है जो पीड़ा हो रही है मुझे वह पूरा बोलूंगा जो दर्द चल रहा हूं उसे दर्द का बखान करूंगा आपके पास करूंगा कौन सुनेगा नहीं तो वही होगा जो पहले चल रहा था मैं समर्थन करता हों काबर करथन तो पता नहीं तुम्हें तो बोल रहा हूं सर कि मैं विरोध कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं समर्थन कर रहा तो क्यों कर रहा हूं मैं एक–एक शब्दों में अपनी पीड़ा को बता रहा हूं आप चाहते हैं कि मैं समर्थन एवं विरोध बोल कर चल दूं तो सुनना पड़ेगा सर मेरे दर्द को आपको सुनना पड़ेगा इलाज करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा आप लिखने के लिए बाध्य है और मैं बोलने के लिए बाध्य इसलिए पहले ही प्रश्न रखा था कि सर में समय निर्धारित है क्या? मैं राधेश्याम नहीं हूं मैं विपिन कुमार हूं आम किसान राधेश्याम तो शहर में रहते हैं राजेश त्रिपाठी जी शहर में रहते हैं मैं जो घटना होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं मेरे को बोलने का अधिकार है देश का अपॉजिट पार्टी बोलता है कि मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है तो मैं सर किसान हूं अभिव्यक्ति का अधिकार है आपने मेरे को रोका इसलिए मैं बोल रहा हूं सर नहीं तो मैं नहीं बोलना मैं कोई गलत नहीं बोला हूं अगर गलत बोला हूं मैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में तो बोलिए तो स्वीकार करता हूं तो सजा दीजिए मुझे जनता भारी है यह अदालत है यह सजा दे दे मुझे जनता आपका दे तो जनता सर्वोपरि चली आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा और रोड़ों की गति देख ले हमारी इस रोड की क्षमता 8 टन की है जो आदिकाल से चला रहा है जो रोड बना है 8 टन की क्षमता का और गाड़ी कितने टन की चल रही है 40 टन 50 टन 80 टन कौन माई बाप है वह थोड़ी रोकते हैं क्या कार्य बोलते हैं ऑडी की सोडी है उनको तो ना तो गड्ढा तक समझ में आता है ना रोड समझ में आता है। शीशे बंद रहते हैं ना आवाज आता है अपना काम करता है फिर दबाया स्टार्ट कर फिर चला जाता है गांव वाला हवा पानी का गरदा खाने के लिए रहता है खाते तो हम हैं इस रोड में रोड में हम चलते हैं रोड की यह हालत है अगर किसी बहन को यह माता को डिलीवरी का समय है तो रायगढ़ नहीं पहुंच पाएगा क्यों जब देखो जाम लगा है तीन–तीन घंटा जाम लगा है उसका क्या इलाज है उद्योग पर उद्योग लगने जाओ पब्लिक को करने दो पब्लिक तो होते ही मरने के लिए पब्लिक तो होते ही मरने के लिए क्या है रोड का गति कोई रोड गांव का चलने लायक नहीं है जब गांव करोड़ बनता है पंचायत का रोड़ बनता है आलो नहीं है रोड में चलने का उद्योगों का यह शासन का नियम रहती है मैं आवेदन दे रखा है महोदय जी आपके ऑफिस में अभी बता रहा हूं आपको इस रोड को ग्राम पंचायत में हमारे दान की भूमि से बनाया है उसे रोड में फैक्ट्री वालों को चलने का अधिकार नहीं है मुझे बैरियर लगाने की अनुमति दी जाए मैंने आवेदन दे रखा है क्योंकि रोड मेरा है मैं लिखित में सरकार को नहीं दिया है मैंने अपने लोगों को आने जाने के लिए सुविधा दी है ना कि उद्योगों को चलाने के लिए रोड की दुर्गति है कहीं पर ना

डामर है ना कहीं पर मुरूम है बड़ा अच्छा तरीका है सरकार का पैसा बचाओ और खाओ यहां से अगर रायगढ़ तक देखा जाए तो बॉलीवुड फैक्ट्री का कूड़ा कचरा फैला दिए हैं ठेकेदार को ठेका देती है कि भैया रोड तो बन गया है बिल लगे और खालें किसने अनुमति दी है उसको लगाने के लिए हम अगर गड्ढा पाठ में जाएं घर बनाने के लिए तो शिकायत हो जाती है फैक्ट्री का चुरा डाल रहा है बंद किया जाए हम यहां रोड के किनारे अपनी जमीन पर फ्लाइऐश ढाल के दुकान नहीं खोल सकते किसी तो हमारी गई उपाय क्या है और जितने भी अधिकारी हैं उस रोड से आ जा रहे हैं किसी ने देखा है अभी तक क्या फ्लाई ऐश रखा गया है मैंने अनुमति दिया था किरण नदी के लिए मुझे अनुमति दिया जाए यहां फ्लाई ऐश पाटने के लिए बोले नहीं किलो दाम के बगल में नहीं दी जाएगी अनुमति ग्राम पंचायत से पास करने गया एवं निरस्त हो गया आज वहां देख रहा हूं तो दुनिया भर का फैक्ट्री लग रहा है परमिशन की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं किस तो मुझे परमिशन की आवश्यकता है यह है पीड़ा, पीड़ा ऐसी होती है फ्लाई ऐश पट रहा है कोई देखने वाला नहीं है और चंद जो पट्टेधारी लोग हैं उन्हीं की गाड़ी चलती है वहीं बर्बाद कर रहे हैं क्षेत्र को वह प्रदूषण करने वाले फैक्ट्री वाला नहीं जाता है चंद् लोगों को देता है उसको ले जाओ और पाट दो ग गढ्ढा को उनका पैसा बच जाता है उनको रोजगार मिल जाता है पब्लिक जाए भाड़ में क्या होगा उस प्रदूषण का जांच नहीं किया जाएगा क्या वह पानी बाहर नहीं जाती खेतों में क्या वह पानी नहीं जाती नदियों में उसका जो केमिकल है कौन सा ऐसा यंत्र लगाया गया है कचरे के लिए कहां पर लगाया गया है एक भी यंत्र लगाया गया हो तो बताया जाए यंत्र का तो नाम ही नहीं है डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं मैं अपने जमीन को पाट नहीं सकता उसके लिए मुझे कलेक्टर महोदय के पास जाना पड़ेगा अनुमति मांगूंगा तो अनुमति नहीं मिलेगा यह तो हाल है उसका रोड की दुर्गति तो आप देख रहे आप जा ही नहीं सकते बैरियर लगना चाहिए क्षमता से अधिक वालों का नहीं चलनी चाहिए गाड़ी फिर ऊपर में बटवारा कैसे मिलेगा इसी बंटवारे का झगड़ा है यह ढकोसला जनसुनवाई है एक भी पॉइंट को मेरी किसी भी प्रशासन के अधिकारी के बोलने का क्षमता है अगरक् सारा चीज बताएं मैं सुनने के लिए स्वीकार हूं अगर एक भी बात गलत हो गई तो मेरे पीड़ा से बाहर हुई तो यह क्षमता वाले गाड़ी चल रही है प्रदूषण से हो रहा है लेकिन और एक मजेदार बात अगर गांव का कोई आदमी मोटरसाइकिल लेकर रायगढ़ चल जाए तो चारों पुलिस बैठे हैं केलोडेम के पास उनको परमिशन का कागज दिखाओ 40 रूपये का परमिशन शुल्क लगता है लेकिन हमको कितने का ठोका जाता है मोटरसाइकिल में 800 रूपये और रहता है 40 रूपये का पेनाल्टी मेरे को जहां तक पता है लेकिन ठोका जाता है 800 रूपये का पेनल्टी पटाओ उसे मोटरसाइकिल किसान को उस गरीब किसान को प्रदूषण जांच होती है क्या यह महोदय कार लेकर के चलते हैं बड़े–बड़े ट्रक लेकर चलती है क्या इनके प्रदूषण जांच होती है मैंने आज तक नहीं देखा है रोड किनारे मेरा घर है किसी भी प्रदूषण अधिकारी को जांच करते नहीं पाया लेकिन रिफाइंड पाटेकर करने का अधिकारी हूं क्योंकि मेरे पास 40 रूपये का प्रदूषण

प्रमाण पत्र नहीं है क्यों नहीं काटती सरकार पैसा नहीं पैसा कमाना है इसलिए नहीं काटते नहीं तो यहां पर बैठो मोलदाम नहीं करना है चालान बनाना है जो बैठे हैं उनको देना है छत्तीसगढ़ी में कहावत है पति के नाम ला पत्नी ने हर नीधरे ह हो कथे हर पब्लिक को मालूम है कि पैसा कहां जाता है लेकिन वही है ह हो का कोई उपाय नहीं है यह दशा है रोड की दुर्गति है अब आगे देखते हैं अपन अगर मुझे दोबारा बोलने का मौका देते तो मैं छोड़ दूंगा अभी बोलना मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किस उद्योग ने उद्योगपति ने सियासी मद पर खर्च किया है क्या यह उद्योग जो वर्तमान में लगने जा रहा है पता नहीं कौन सा उद्योग है तो मैं नहीं जानता हूं मैं नाम अभी तक नहीं मालूम क्या यह लिख कर दे रहा है कि हम 8 किलोमीटर के परिधि में जो गांव आएगा उसे पर खर्च करेंगे लिख कर दे रहा है लिखकर दे कि हमारे सियासी मद का खर्चा हम यहां करेंगे आठों गांव में आज तक मैंने देखा है रायगढ़ को स्वप्न सुंदर बनाया जा रहा है रायपुर को स्वप्न सुंदर बनाया जा रहा है वहां का रोड को बनाया जा रहा है कार्टून बन जा रहा है दीवाल पर लेकिन हमारे गांव में रोड नहीं है हमारे गांव में पानी नहीं है हमारे गांव में प्रदूषण है उसे पर कोई ध्यान नहीं है क्यों उसे सियासी मद का पैसा क्यों जाता है बाहर आज मेरा हर गांव स्वर्ग हो जाता स्वप्न से ज्यादा सुंदर होता लेकिन नहीं इनको सिर्फ नाश करना है और उनको यहां से खेदना है यहां से प्रदूषण से इतना त्रस्त हो जाएं इतना त्रस्त हो जाए गांव छोड़कर भागना पड़े कौन देखेगा इसको उपाय क्या है सियासी मद का खर्चा भी यहां नहीं होना है सर का सारा पैसा महोदय जी के पास जमा करना है वह क्या करेंगे महोदय जी ऊपर से आदेश है पैसा यहां जमा करो हम अपनी मर्जी से खर्च करेंगे यह मेरा गांव चाहे पूंजीपथरा हो तुमीडीह हो सामरुमा हो स्वर्ग बन जाएगा स्वर्ग जो भी गांव है मेरा हर गांव स्वर्ग बन जाएगा रायगढ़ जिले का जितना खर्चा आवक है वह सारा का सारा गांव स्वर्ग बन जाएगा एक परसेंट यहां पर नहीं डाला गया है 10 साल हो गया है किसी गांव का रोड नहीं बना है किसी उद्योगपति ने नहीं बनवाया है और सिर्फ हवा प्रदूषण बीमारी के लिए पैदा हुए हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है ये हमारा सरकार कुंभकरणीय सरकार है कुछ नहीं दिखाई देता अभी चुनाव आएगा हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे भैया वोट दे देबेगा की मोला वोट देबे उस कुर्सी के लिए अभी 4 दिन के बाद पंचायत चुनाव होना है कितने हमारे रिश्तेदार निकल जाते हैं भाई भतीजा बेटा पता नहीं क्या क्या रिश्तेदार होते हैं क्या हो गई इसका समाधान क्या है सियासी मद का पैसा खर्च करेंगे महोदय लास्ट में जवाब देंगे तो मैं लास्ट 5 बजे तक बैठूंगा 7.00 बजे देंगे तो 7.00 बजे तक बैठूंगा मुझे जवाब चाहिए नोट कर लीजिए आप लोग जो उद्योग प्रबंधन है उद्योग लिख कर देगा कि यहां खर्चा करेंगे 86 मौत का वह लिख कर देंगे आप बोलेंगे की लास्ट में बताएंगे मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप लास्ट में बताओ लेकिन सियासी मद ईतना होगा और इतना सियासी मद में पूंजीपथरा में खर्च करेंगे सामारुमा में खर्चा करेंगे लेकिन उसे जगह को तो पहले सुधारो जिस जगह का आप नमक खा रहे हो जिस जगह का काम ही खा रहे हैं वहां पर कुछ नहीं देना है उसको रोजगार नहीं देना है उसको पानी नहीं देना है उसकी हवा

नहीं देना है पैसा देना है तो रायपुर में देना है मुख्यालय में देना है तो सिर्फ हम लोग यहां प्रदूषण खाने के लिए बैठे हैं चाहे जल प्रदूषण हो वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण यही खाने के लिए पैदा हुए हैं यहां पर सियासी मत कभी पता नहीं आज तक किसी फैक्ट्री ने नहीं दिया वाह वाह रे सरकार और हम दूसरे को दोस्त क्यों दें दूसरों को दोष देना यह गलत है अगर यह सभी मांगों को मानते हैं उद्योगपति जितना भी मैंने रखा तो उन शर्तों के आधार पर दिया जाना चाहिए आगे कुछ लोगों ने कहा कि उद्योग से हमारा विकास होता है बहुत बढ़िया विकास हुआ माननीय महोदय नौकरी बंद हो गई खेती बंद हो गई यह तुमीडीह गांव जो इस गर्मी सीजन में मूंगफली का खेती लह लहता था इस डैम के कारण उद्योग वाले आ गए तो सुख गया इसका जवाबदार कौन है। यहां वन का जमीन है यहां यदि हम एक पेड़ काट ले चार नाका आ जाएंगे कैसे काटा तुमने और हमको सजा हो जाएगी नर कंपनी के द्वारा 200 एकड़ जमीन पूरी जंगल कई हजार सराय का पेड़ होगा उसमें एनआई में लिखा है 5000 पेड़ है चलिए मैं दिखाता हूं 50000 पेड़ से कम नहीं होगा लेकिन एनआई रिपोर्ट मान्य है और जो यहां पर निवासी हैं उनका कोई मान्य नहीं है वह बेकार बकवास है 200 एकड़ और गेरवानी से लेकर सरायपाली तक पूरी नल के किनारे उस नाल किनारे किनारे पूरी जमीन इसमें 99 साल की लीज में पूर्ववर्ती सरकार ने दिया है और हम एक पेड़ सराय का अपने घरों में मियार लगाने के लिए लाए तो फॉरेस्ट वाला आएगा हमको अंदर कर देगा वह हमारे लिए नियम लगता है कानून लगता है तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिखा है जो सामर्थ वान है उसमें दोष कुछ नहीं है तुलसीदास बहुत सदियों सदियों पहले लिख दिए थे आज भी वह बातें चरितार्थ हो गई है क्या करें हम करें तो करें क्या किस जगह जाएं साहब किसके पास गुहार लगाई अपनी पीड़ा का हम किसानों के समस्या के समाधान क्या है हमको भी हमारी समस्या का समाधान चाहिए हमको भी यहां रहना है हमको भी यहां जीने का अधिकार है कौन देगा हमको जीने का अधिकार हम तो आपके पास जाएंगे हमको जीने का अधिकार दीजिए हमारा हमारा भी अधिकार बनता है हम आपसे डिमांड करते हैं और मारना है तो एकमुस्त मारिये यूं घुट–घुट कर मत मारिए त्रस्त हो गया ना इस जीवन से इस क्षेत्र से बीमारी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी स्किन संबंधी बीमारी क्या क्या प्रदूषण साफ होगा क्या यह लिख कर देंगे क्या पंचायती राज के तहत नौकरी के अपॉइंटमेंट पंचायत स्तर पर होगा स्थानीय लोगों का होगा कौन जवाब देगा क्या गांव के रहने वालों का अधिकार नहीं है और है तो क्यों नहीं लागू होता दिल्ली से तो चलकर नहीं आएगा यहां लागू करने के लिए यहां के जो भी अधिकारी हैं प्रशासन के प्रमुख यह वही करेंगे महोदय जी मैं भी लोगों का पूरा समझाता हूं अपने आए हैं बस अंतिम यह शब्द बोलूंगा कि इस किसानों के लिए क्या व्यवस्था है इनके पास मेरी जमीन ले ले पूरी जमीन ले ले मुझे पैसा दें या मुझे जीने का अधिकार दें किसान जाए तो जाएगा कहां और हर नियुक्ति पंचायत के माध्यम से बीच चौराहे पर हो पंचायत भवन में हो ना की केरल से हो कि उड़ीसा से होगी बिहार से हो सबसे पहले छत्तीसगढ़िया वह भी स्थानीय भाषा का भी नॉलेज होना चाहिए और इस क्राइम को कौन रोकेगा इसको भी रोकना

उपाय नहीं है तो किस के लिए व्यवस्था फसल की व्यवस्था क्या होना चाहिए क्या हमको जल लेने की अनुमति दी जाएगी बोर खोदने की अनुमति दी जाएगी यहां हमको नौकरी दिया जाएगा इसको क्या उद्योग क्षेत्र घोषित किया जाएगा कयह हमारी मूल समस्या है इनमें से अगर एक भी समस्या दूर किया जाता है उसको भी किसी प्रकार की उद्योग के परमिशन न दी जाए हर हालत में नहीं तो जो हमारे बस्तर में पैदा हो रही है रायगढ़ में भी पैदा होगी इसके लिए पूरा प्रशासन जवाब दे होगा अगर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा वही होगा जो बस्तर में आज हो रहा है दंतेवाड़ा में आज हो रहा है वही तामझाम होगा मेरा करबद्ध प्रार्थना है कम से कम स्थिति न बनने दे इतना शांत प्रिया क्षेत्र जो पूरे भारत में मिसाल दिया जाता था रायगढ़ का इससे बड़ा शांत जगह कहीं नहीं है आज इसको विधवा कर दिया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए महादेव जी में 7.00 बजे तक इंतजार करूंगा इन प्रश्नों को उत्तर मिलेगा अन्यथा में और बोलूंगा सारे प्रश्न उत्तर मिलेगा मैं इंतजार करूंगा 7.00 बज जाए 10.00 बजे जाए एडीएम मैडम के द्वारा कहा गया कि पर्यावरणीय जो भी मुद्दे हैं वह नोट किए गए हैं।मेरे द्वारा स्थानीय समस्या है रोजगार का समस्या उठाया गया है धन्यवाद आपने मुझे सुना इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद और मैं आपको 7.00 बजे तक नहीं 10.00 बजे तक इंतजार करूंगा आज मैं प्रश्नों को उत्तर लेकर जाऊंगा धन्यवाद।

133. बिंदेश्वरी, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
134. सकुंतला, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
135. सविता, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
136. पदमावती, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
137. ताराबाई, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
138. श्रेया, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
139. जमुना, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
140. चंपा, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
141. सुखमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
142. बरतकुमारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
143. आशा, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
144. प्रफुल्ल बड़ा, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
145. बरखा, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
146. मेनका – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
147. संजिता, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
148. सुखीला, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

149. समीरा, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

150. विनिता, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

151. बोतीबाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

152. हेमप्रिया – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

153. सावित्री – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

154. संतोषी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

155. सुनिता, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

156. गंगा बाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

157. कमला, छर्राटांगर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

158. रोशनी, छर्राटांगर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

159. जानकी, छर्राटांगर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

160. ललिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

161. प्रियंका, छर्राटांगर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

162. हेमलता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

163. संगीता, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

164. उत्तरा बाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

165. सेतकुंवर, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

166. घुरीबाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

167. जगमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

168. रीना, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

169. सरस्वती, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

170. सुभद्रा, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

171. राधिका – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

172. कला – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

173. आरती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

174. देवकी, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

175. रोशनी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

176. दीनदयाल, सामारूमा – सामारूमा गांव मेन रोड़ में बसा हुआ है। पूंजीथपरा से सामारूमा से अम्लीडीह तक सड़क में कम से कम 05 टैंकर पानी गिरवा दे सर। मेरा नाम दीनदयाल कालाकार है पर कालाकार

नही हूं। प्रदूषण से मेरा बाल खराब हो गया हैtमैं पाउडर लगा लिया हूं। बच्चे लोग स्कूल सफेद कपड़ा पहन कर जाते है तो ट्रको के आने जाने से पूरा धुल धुल हो जाता है।

177. सीमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

178. नेहा, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

179. रंजिला कुमारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

180. सोनावती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

181. नैना – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

182. कविता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

183. उमाकुमारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

184. छैलकुमारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

185. जानवी, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

186. तुलोस्मा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

187. सरस्वती, पड़कीपहरी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

188. हेमसागर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

189. अरूण, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

190. नारायण, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

191. कमला राम, छर्राटांगर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

192. मोनू, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

193. सोनकुमार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

194. राकेश, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

195. मोहन – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

196. रामसिंह, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

197. प्रेंमशंकर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

198. आनंद – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

199. आशिष, छर्राटांगर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

200. अमरदीप चौहान – यहा आये आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दे पर करना चाहता हूं जो कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रभाव आंकलन के आधार पर हो रहा है, इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी कमियां है जो कि नियमों के उल्लंघन करने के साथ साथ संविधान का भी उल्लंघन कर रही है। ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है, लेकिन कंपनी द्वारा प्रस्तुत ईआईए में प्रभावित ग्रामों की जानकारी का अभाव है। इसमें कही भी उल्लेखित नही है

कि कंपनी के लगने से कितने ग्रांव एवं ग्राम पंचायतें प्रभावित होगी। इससे यह होगा कि प्रभावित गांवों को इस संबंध में उचित जानकारी नही मिल पायेगी, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ईआईए अधिसूचना को सार्वजनिक स्थल, ग्राम पंचायतों तथा अन्य प्रमुख स्थलों में निर्धारित समय अवधि में संपूर्ण दस्तावेजों के साथ मुनादी किया जाना अनिवार्य होता है, जबकि प्रभावित गांवों में जनसुनवाई के विषय में मुनादी नही किया गया है एवं इसकी सूचना सर्वजनिक स्थलों में भी चस्पा नही किया गया है। यह बहुत चिंता का विषय है कि प्रभावित गांवों के लोगों को इस विषय में जानकारी नही है तथा इस लिये लोग इसमें भाग भी नही ले पा रहे है। प्रभावित गांवों को प्रक्रिया में शामिल नही किया गया है। यह जनसुनवाई पर्यावरण के खिलाफ है तथा लोगों के पर्यावरणीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ईआईए रिपोर्ट में क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण जानकारी को नजअंदाज कर दिया गया है। परियोजना स्थल तथा 01 कि.मी. की दूरी से ही हाथी प्रभावित क्षेत्र प्रारंभ हो जाती है। कल ही सामारूमा क्षेत्र में हाथी विचरण करते हुये देखा गया है। परियोजना स्थल से 2.5 से 05 कि.मी. के अंदर कई ऐसे परिवार है जिनके फसल एवं मकान हाथीयों द्वारा नष्ट कर दिये गये है। इस घटनाओं को वन विभाग तथा पर्यावरण विभाग द्वारा संज्ञान में भी लिया गया है। यह रिपोर्ट वास्तविक्ता से मेल नही खाती है और इसका पुनः अध्ययन की आवश्यकता है। हाथी प्रभावित क्षेत्र को प्राथमिकता के साथ प्रभाव आंकलन रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिऐ। कंपनी अपने होने वाले खर्च को विस्तार से दिया है लेकिन किस मद में जैसे सीएसआर पर्यावरण आदि में कितना खर्च करेगा उसका उल्लेख नही किया गया है। कंपनी अधिनियम 2016 के तहत् औसत लागत में से 02 प्रतिशत सीएसआर के तहत् खर्च किया जाना आवश्यक है। इसका शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य आदि में। कंपनी के रिपोर्ट में प्रभावित होने का उल्लेख नही है इसमें कई खामियां है। इसका आंकलन करना चाहिऐ और सहि जानकारी प्रदान किया जाना चाहिऐ। ताकि प्रदूषण प्रभाव का सही मूल्यांकन किया जा सकें। हम सब भी यह कर्त्वय है कि इन मुद्दों का उजार करें ताकि न्याय और पार्दशिता बनी रहें। मेरा आपसे निवेदन है कि परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों का पुनः मूल्यांकन करें। प्रभावित गांवों की जानकारी को सार्वजनिक करें और जनसुनवाई के प्रक्रिया को फिर से पार्दशी बनायें। मेरा निवेदन है कि इस जनसुनवाई को रद्द कर पुनः जनसुनवाई का आयोजन करें।

201. बसंती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
202. फूलीबाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
203. सीता, पड़कीपहरी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
204. निर्मला, – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
205. मालती, पड़कीपहरी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
206. मंगली – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
207. गणेशी, पड़कीपहरी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

208. बुधियारिन – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

209. धनमती, पड़कीपहरी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

210. कुमारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

211. माधुरी, पड़कीपहरी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

212. परमेश्वरी, पड़कीपहरी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

213. मधू, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

214. आरती, पड़कीपहरी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

215. देवमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

216. सुनिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

217. कमला, – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

218. रेवती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

219. राजकुमारी, पउ़कीपहरी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

220. लक्ष्मी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

221. कमला – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

222. जानकी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

223. मीरा बाई, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

224. गायत्री – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

225. लक्ष्मीन यादव – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

226. सुलोचना, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

227. रामबाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

228. देवमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

229. रामकुमारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

230. गायत्री – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

231. गुरबारी, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

232. रेवती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

233. भवानी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

234. सोनबाई, छर्राटांगर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

235. बिमला, छर्राटांगर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

236. सुमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

237. कुमारी बाई, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

238. ननकी, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट्ट लिमिटेड का समर्थन है।

239. कौशल्या – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

240. इंदू रात्रे – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

241. सावित्री, पड़कीपहरी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

242. सुखमेत – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

243. प्रभा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

244. गीता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

245. उमा देवी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

246. संपत्ति – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

247. दिव्या – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

248. चैतकुंवर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

249. रामवती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

250. लक्ष्मीन – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

251. धनमती, छर्राटांगर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

252. वेदमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

253. रूखनी, – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

254. सारथी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

255. वृंदावती सोनी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

256. निलम – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

257. चंपा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

258. इंद्रा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

259. ललिता, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

260. राजमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

261. कौशल्या, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

262. सुनिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

263. प्रमिला, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

264. रूखनी बाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

265. अंजली – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

266. कांति – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

267. फुलासो – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

268. सविता,पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

269. सिदारीन – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

270. विनिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

271. पद्मीनी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

272. दिलेश्वरी, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

273. हेमलाल – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

274. राजकुमार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

275. सुंदरसाय – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

276. कपलेश्वर, – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

277. सहसराम – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

278. राजेश – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

279. राघव – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

280. श्रवण कुमार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

281. त्रिलोचन – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

282. दिनदयाल – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

283. भोगीराम – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

284. सनकराम, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

285. दशरथ – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

286. माधव – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

287. कृष्णा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

288. गोलू, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

289. कला चौहान – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

290. हीरालाल – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

291. गुलशन, सामारूमा – पर्यावरण से प्रदूषण को ध्यान दे। विकास होना चाहिये। रोजगार होना चाहिये मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

292. सुखीराम, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

293. उत्तरा यादव, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

294. रानू यादव – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

295. निराकार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

296. मनोज – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

297. सलमान – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

298. बसंत कुमार, छर्राटांगर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

299. प्रकाश कुमार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

300. गुलाब – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

301. घसीया चौहान – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

302. श्यामु यादव – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

303. संतराम – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

304. संतोष – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

305. तिलकराम, छर्राटांगर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

306. ऋषिकेश – जो मेरा जमीन गया उसका कुछ नहीं पाया, चोर हो गया हूँ सर जमीन के चलते।

307. नर्मदा, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

308. चतुरबाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

309. देवी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

310. सविता, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

311. गीता, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

312. गुड़िया – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

313. इशिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

314. मायावती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

315. चंपा, पूंजीपथरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

316. मीरा देवी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

317. आशा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

318. बुधियारिन – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

319. सतकुंवर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

320. तिजमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

321. बसंती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

322. शांति – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

323. ललिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

324. आरती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

325. उमा यादव, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

326. रानी चौहान – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

327. योगेश – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

328. रोहन – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

329. मालिकराम – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

330. जयप्रकाश – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

331. शिव कुमार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

332. सविता रथ, बरलिया – परम आदरणीय श्री पीठासीन अधिकारी महोदय क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल आदरणीय आज मेसर्स प्रिज्मो स्टील प्राइवेट लिमिटेड ग्राम तुमीडीह, पूंजीपथरा मैं आज जो होने वाली 23.12.2024 को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के संबंध में सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद की आप लोगों ने हम लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया है टेबल इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगी क्योंकि 250 – 300 पेज की ई.आई.ए. रिपोर्ट को पढ़ने में काफी दिक्कत होती थी उसके लिए बहुत शुक्रिया इसको आप लोगों ने किया है आदरणीय मैडम आज की जनसुनवाई है आज इस जनसुनवाई को किन पर्यावरणीय मुद्दों की सामाजिक मुद्दों को लेते हुए आज की जनसुनवाई नहीं होनी चाहिए उसके विषय पर मैं क्योंकि आप लोगों ने आमंत्रित किया है सार्वजनिक मंच है हम भी अपने बात रखने आए हैं और मैं ग्राम पंचायत बरलिया की रहने वाली हूं मैं प्रभावित क्षेत्र के हूं और स्थानीय स्तर पर आज की जो जनसुनवाई है उसका तकनीकी रूप में जो आज आप यह जो मेसर्स प्रिज्मो स्टील प्राइवेट लिमिटेड ग्राम तुमीडीह में जो डी.आर.आई. ापसद और अन्य जो भी आपके पीछे लिखे हैं वह हमारे ई.आई.ए. में भी है तो उसमें परियोजना स्थल में जो जनसुनवाई हो रही है दरअसल या जो क्षेत्र है या पूर्ण रूप से अनुसूची पैसा क्षेत्र है और आपको बता दूं कि आज की पर्यावरणीय लोकसुनवाई मैं पंचायत के प्रावधान अनुसूची क्षेत्र तक यहां के विस्तार अधिनियम 1996 इस पैसा अधिनियम एक्ट के रूप में संक्षिप्त दिया गया है भारत में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जो पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन निश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक मजबूत कानून है जिसका खुला उल्लंघन यह जनसुनवाई है आदरणीय या अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान के पांचवी अनुसूची द्वारा पहचाने जाने वाले क्षेत्र तुमीडीह आता है, सामारूमा आता है मेरा गांव बरलिया अभी आता है इस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की आबादी अधिक है अनुसूचित क्षेत्र भारतीय संविधान के 73वें संविधानिक संशोधन या पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों को शामिल अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित करने के लिए 24 दिसंबर 1996 को पेसा अधिनियम पारित किया गया यह क्षेत्र पेसा के अंतर्गत आता है आप सौभाग्य मानिए दुर्भाग्य मानिए आज हम 23 दिसंबर 2024 को आपके समक्ष पेसा कानून को बचाने की बात को लेकर खड़े हैं मैडम कल 24 दिसंबर है और 2024 है मतलब 29 वर्ष का फासला पूरा हो गया है बात ही पेसा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्र को विस्तारित करने की और किया जा रहा है औद्योगिक विस्तार स्थापना वन भूमियों और अन्य सार्वजनिक सामुदायिक संसाधनों जिसमें छत्तीसगढ़ राजस्व भू संहिता

राजस्व अधिकारी होने के कारण 1959 का अधिनियम 20 से 25 अप्रैल 2016 को प्रकाशित भू अभिलेख का उल्लेख में नजूल जमीनों शमशान भूमि गोचर देव स्थलों तालाबों खेल मैदाने गोचर जमीन के हस्तांतरण की ग्राम सभा से कोई अनुमति इन प्रभावित 10 किलोमीटर के परिधि किसी भी गांव से ना अभी तक ई. आई.ए. बनाने वाली एजेंसी किस आधार पर बनाई है ना ही अनुमति लिया है आदरणीय आपके समक्ष बता दूं की राजस्व के साथ–साथ वन भूमि की काफी बड़ी यहां पर छय हैं हम जहां खड़े हैं यह संपूर्ण रूप से वन भूमि है और यहां पर साल और महुआ का सबसे अधिक पेड़ है जो यहां के स्थानीय महिलाओं के रोजी–रोटी सम्मानित रोजगार का और वनोंपज संग्रहण का यह एक जगह है जहां पेसा में उचित स्तर पर पंचायत और ग्राम सभाओं को कई मुद्दों जैसे प्रथागत संसाधन लघु वनोंपजो लघु खनिजो लघु जल निकायों लाभार्थियों का चयन परियोजनाओं के मंजूरी और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण के संबंध में स्वशासन की प्रणाली को लागू करने मैं सक्षम बनाने की मांग जो पेसा को पंचायत और अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के लिए एक सकारात्मक विकास के रूप में पेसा कानून को देखा गया था जिन्होंने पहले आधुनिक विकास प्रक्रियाओं और स्वतंत्र भारत में बनाए गए कानून और विधियो दोनों के संचालन से नुकसान बढ़ता जा रहा है इस क्षेत्र में पहले से ही इस विकास परियोजनाओं के कारण अनियंत्रित भूमि अधिग्रहण और विस्थापन में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों में बड़े पैमाने पर संकट पैदा कर दिया है आदरणीय और यहां पर पर्यावरणीय लोक सुनवाई करवाना पेसा का उल्लंघन है क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों स्वयं अपने विकास की गति और प्राथमिकताएं तय करते हैं और यह करने का हक है उनको या राज्य और केंद्र सरकारों के नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि पेसा कानून के तहत आदिवासी क्षेत्र को विशेष सुरक्षित किया जाए पेसा नियमों को हमारा राज्य 9 अगस्त 2022 को विशेष पैसा नियम बना लिया गया है ऐसे में बिना ग्राम सभा के अनुमतियों को प्राप्त किया लोक सुनवाई करवाना पैसा नियम 1996 का उलंघन ही नहीं क्या अपमान भी है इस कानून का आदरणीय आपको बता दूं कि हम जिस प्रिस्मो स्टील प्राइवेट लिमिटेड की जनसुनवाई करने आए हैं इस 10 किलोमीटर की परिधि के जो अध्ययन क्षेत्र हैं यहां पर बरलिया का वन भूमि प्रभावित है यहां सामारुमा का प्रभावित है इनके अगर हम हिंदी समरी को देखें तो यहां पर वन विभाग की भूमिका बेहद यहां पर देखा जाए तो संदिग्ध लगती है कि यह अनुमति मिल कैसे पर्यावरणीय का आदरणीय आपको बता दूं कि हम जहां बैठे हैं वन की स्थिति आपको बता दूं ग्राम तुमीडीह जो है यह पेज क्रमांक तीन है अगर आप देख ले तो इसमें 48 ग्राम अध्ययन क्षेत्र में बताया है तो 48 गांव के 48 अध्ययन भी होने चाहिए की कहां का क्या स्थिति है उत्तर आना चाहिए आखिर तो रिसर्चर में भी हूं पर्यावरण का तो हम जो डाटा करते हैं तो बहुत ही 12 महीना एक डाटा हम सबमिट करते हैं ताकि हम चार महीने की स्थिति पर्यावरणीय स्थिति वायु परिवर्तन की स्थिति और वहां के जल मृदा वायु ध्वनि इन प्रदूषणों की स्थिति को आका जाता है इसमें आदरणीय जहां पर रिजर्व फॉरेस्ट की बात हो रही है उसको हिंदी में हम आरक्षित वन कहते हैं

नहीं मिला अब आप बताइए यह ईट बन रहा है तो कितने का ईट बन रहा है कितना टन कोयला जल रहा है कितने टन फ्लाई ऐश रख का आप ईट बना रहे हैं कितने ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो वर्तमान में अपना ईट परियोजना संचालित कर दिए हैं उनका ईट का उत्पादन कितना है कहां गया कितने के पास फ्लाई ऐश डाईक है और फ्लाई डाईक नहीं है तो तो यह ईट बनाएंगे और बनाएंगे तो कितना बन रहा है मुझे क्यों ईट नहीं मिल रही है सबको मिल रही है इसका मतलब यह है कि फ्लाई ऐश जंगलों में डाला जा रहा है और जंगलों के माध्यम से हमारे सारे जैव विविधता के सेहत जो है वह बीमार पड़ गई है फ्लाई ऐश निस्तारण का पुख्ता इंतजाम हम पूछ रहे हैं कि कितना ट्रक कितना टन फ्लाई ऐश आपने अभी तक कोल खदानों के फीलिंग में भर दिया क्वाट्र्ज के लाइमस्टोन खदान में भर दिया उसका कोई डेटा है क्या मैं आरटीआई लगाऊंगी कल ही। कृषि भूमि के बात आ रही है तो कितने हेक्टेयर हम फ्लाई ऐश जैसे गंभीर मुद्दे के निपटान की तैयारी हम कर चुके हैं कितना कर रहे हैं कितना फ्लाई ऐश आप भारतमाला परियोजना में भेज रहे हैं फ्लाई ऐश में कोई नाम नहीं होता यह एनजीटी का कहना है फ्लाई ऐश के निगरानी के लिए हमारे जिला प्रशासन के पास क्या पुख्ता इंतजाम है क्या उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था की है कि पर डे कोई आंकड़े आ रहे हैं हमारे पास कहां गया हमारा चार, महुवा, तेंदू जैव विविधता में हमारे तितलियों से लेकर हमारे पशु अभी मानसिक रूप से विछब्द होकर के अभी आपको मालूम है कि नहीं रोज जगली सुअरों के कारण सड़क में आवाजाही बंद है वह हमले कर रहे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जानवरों तक को चाहे वह पालतू पशु हो, चाहे वन्य पशु हो, हाथी हो, आपके हिरण हो, खरगोश हो, जल जीव हो, किसी को खाना नहीं मिल रहा है हिंसक हो रहे हैं इंसानों की बात मैं नहीं कर रही हूं बात कर रही हूं जैव विविधता के हालात पर आपको बता दूं कि जैव विविधता में अभी बंदर सारे छप्पर तोड़ रहे हैं घरों में घुसकर के आपके पकाए खाना तक को ले जा रहे हैं क्योंकि हमारे जंगल बीमार है हमारे जंगल का जैव स्रोत खराब है। हम किसी और उद्योग के स्थापना की स्थिति में नहीं है, विस्तार की स्थिति में नहीं है। हम अगर ऐसा करें तो हमें जानवरों के साथ और गांव को मिलाकर रखेंगे तो बड़े–बड़े रोड दुर्घटनाएं हैं वन विभाग के पास डाटा है की कितने हमले हो रहे हैं वन विभाग वाले बाकायदा मुआवजा दे रहे हैं। मीडिया के साथी मुद्दों को उठा रहे हैं सलाम करते हैं हम उनको आपको बता दो कि जहां पर आपके फ्लाई ऐश कितना कोयला जल रहा है, पर डे कितना आप भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं, कितना आप अलग–अलग खनिजों को जलाकर एक मिला–जुला स्टील तैयार करेंगे। आप एक स्पंज आयरन तैयार करेंगे मैं केवल प्रिज्मो की बात नहीं कर रही हूं वर्तमान हालत में ई.आई.ए. में लिखा है कि यह क्षेत्र प्रदूषित क्षेत्र नहीं है बड़ा आसहज मुद्दा है आपको बता दूं की यह जो बोलते हैं ट्रके लाएंगे जहाज से लाएंगे यहां समुद्र नहीं है तो जल जहाज चलेगी नहीं आसपास यहां एयरपोर्ट नहीं बता रहा है। जिंदल साहब अगर मौका दे दे तो आप वहां से कोयला ला सकते हैं हवाई जहाज यात्रा में आदरणीय आपको बता दूं संयंत्र क्षेत्र 10 जुलाई 2019 को

जारी एनजीटी के दिए गए आदेश के क्षेत्र में नहीं आता तो इसकी जांच की मैं मांग करती हूं की एम ओ ई एफ सी सी ज्ञापन 13 जनवरी 2010 के अनुसार अत्यधिक प्रदूषण क्षेत्र यहां को नहीं माना गया है तो यह बड़ा दिक्कत है रही बात रक्षा प्रतिष्ठान का कोई नहीं है आप यह बताइए क्या पूंजी पत्र थाना रक्षा प्रतिष्ठान क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वहां हथियार नहीं रहते हैं पुलिस प्रशासन की अपनी व्यवस्था नहीं रहती है उर्दना पुलिस लाइन रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है इसमें खेलो बांध परियोजना का कहे जिक्र नहीं है कैसे प्लांट चला लेंगे आप और कैसे चल रहा है पूर्व के जिसकी जनसुनवाई आप करवा चुके हैं चाहे मां काली हो चाहे एन आर हो चाहे अन्य रायगढ़ इस्पात हो रुपानाधाम हो जिसका जिसका भी आपने किया है जब उद्योगों के बात आती है तो तो एक बात कहना मेरा यहा लाजमी है। औद्योगिक दुर्घटनाओं का बढ़ता स्तर आप किस आधार पर रोज आपके न्यूज़ में किसी न किसी मासूम प्रवासी मजदूर की, स्थानीय मजदूर की मौत आपके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग जो है औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के द्वारा कौन से मानक ऐसा तय किए गए हैं की रोज हमारे युवा रोजगार के लिए आपके उद्योग में मजदूरी करने आते हैं और वह हंसते खेलते घर से निकलते हैं और ताबूत में कैद हो करके आते हैं चाहे झारखंड का भाई हो उड़ीसा का भाई हो बंगाल का भाई हो क्या है आपका मानक औद्योगिक मृत्यु को रोकने का औद्योगिक दुर्घटनाओं का किसी पर गर्म फ्लाई ऐश गिर रहा है ऐसा कौन सा स्थित है कि मजदूर अंदर में आत्महत्या कर रहे हैं हम उन्हीं को जानते हैं जिसमें बहादुर मीडिया छापते हैं निकाल कर ला पाते हैं नहीं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का आकलन करने का आपके पास क्या ऐसा मानक है कौन सी टीम है कौन से ऐसे शैक्षणिक योग्यता वाले लोग हैं आप किस आधार पर जनसुनवाई को लगातार स्थापना कर रहे हैं विस्तार कर रहे हैं क्या आधार है हमारे रायगढ़ में क्या ऐसा स्थिति बचा है हमारे आने वाले नोनीहालों स्कूल की बात गायब है आंगनबाड़ी की बात गायब है आपको बता दूं कि हमारे यहां आपके इस जनसुनवाई से पहले चाहे आंगनबाड़ी की बात हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो एन.आर. वाले संजय भाई साहब बड़े चौड़े होकर बोले थे कि मैं तरायमल में अस्पताल खोला हूं तो कम से कम इसमें अपने औद्योगिक साथी को बताते की मेरा हॉस्पिटल खराब ना करें जिंदल भाई साहब भी अपना पूंजीपथरा में अपना स्कूल कॉलेज चलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं तो हमारे युवा के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ नहीं है या तो उनका कॉलेज बंद कर दीजिए। पूरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दीजिए। आदरणीय आपकी इस पुरी जनसुनवाई में ई.आई.ए. जो 350 पेज है इस पूरे ई.आई.ए. मैं जो यह डेटा है, जो यह ई. आई.ए. बनाने वाले कंसलटेंसी यह बड़ा हाथ से पद है क्यों ऐसा करते हैं जी आप औद्योगिक क्षेत्र में बेचारे हमको व्यक्तिगत उद्योगों से कोई दुश्मनी नहीं है हमको व्यक्तिगत किसी की स्थापना से नहीं है, लेकिन नियम में चलेंगे कि नहीं चलेंगे आप लोग यहां मेरे क्षेत्र में मेरे आने वाले बच्चों उनके उपज को ,उनके पानी को, उनके संसाधन को आप प्रदूषित करेंगे। आदरणीय यहां जिस तरीके से इस ई.आई.ए. में लिखा गया है कि आप यहां पर सिलका जलाएंगे लिखा है इसमें सिलिकॉन जलेगी, सिलिकॉन जलेगी तो

यहां पहले से सिलीकोशिश बीमारी है स्तन कैंसर से महिलाएं जुझ रही है, गर्भावस्था की समस्या से महिला जूझ रहे हैं। उनका क्या आप अपना औद्योगिक स्थापना करिए एक सम्मानित महुआ चार तेंदूपत्ता का जो रोजगार था, इज्जतदार जो रोजगार था, आप उसे रोजगार को किस हद तक एक सम्मानित रोजगार में तब्दील करने की सरकार के अंदर ऐसी कोई योजना है। क्या आप सी.एस.आर. हो, डी.एम. एफ.टी. हो, चाहे आप जंगल काट रहे हैं तो आपका कैंपा मद हो। जितनी जलवायु परिवर्तन की स्थिति अभी वर्तमान में रायगढ़ झेल रहा है और अन्य नए उद्योग लगाने की स्थिति रायगढ़ के अंदर बिल्कुल भी पारिस्थितिक तंत्र नहीं बचा है हम इंसानों के हालात आदिवासियों के हालात महिलाओं के हालात युवाओं के हालात रोजगार के हालात यह सब कुछ राइट कर भी दे तो वह मुख प्राणी है जो जैव विविधता है। परसों रायगढ़ के अंदर एक घटना घटी की एक मछली हटरी लक्ष्मीपुर के पुल के पास एक बछड़ा गाय से टकरा गया गाय कूद गई सारे शहर के लोग आंदोलित हो गए हमारी कितनी गाय रोज डंफरों में दब रही है। आप बताइए मेरा कुत्ता कुत्ता आपका टॉमी। यही तो होगा आप देखिए कि हमारे यहां गाय कैसे दबाती है। 10 ठो 15 ठो सड़कों में क्यों सड़कों में बैठी है गाय क्योंकि जंगलों में खाने लायक कुछ भी नहीं है ना पीने लायक है उनको आसार है की आती–जाती गाड़ियों से कुछ मिल जाए एवं हाथी लोग भी सड़क में बंदर लोग भी सड़क में जंगली सूअर भी सड़क में कई दुर्घटनाएं अभी जंगली सूअरों के हमले से हुए हैं वह डाटा कहां है चिड़िया की बात तो मैं नहीं कर रही हूं मछलियों के बढ़ते घटते तादाद की बात में नहीं कर रही हूं बढ़ते प्रदूषण के भीतर में तो आदरणीय इस तरीके से यह जनसुनवाई को मुझे नहीं लगता कि आपको आगे बढ़ना चाहिए प्रस्तावित स्टील प्लांट और पूर्व में जो जनसुनवाईयां आपने किया है वह सबको सामूहिक रूप से आपको खत्म करना चाहिए और आपसे एक विशेष निवेदन जो मैं हर बार करती हूं कि इस ऐसे जनसुनवाईयों में जो लगे हुए कर्मचारी हैं अधिकारी है पुलिस विभाग के अधिकारी हो चाहे राजस्व के हो स्वास्थ्य के हो फायर ब्रिगेड के हो यह आपका एक दिन का अतिरिक्त भत्ता महिला अधिकारी कर्मचारी आई है, तो दोगुना भत्ता ऐसे उद्योगों के साथ आपको जरूर देना चाहिए एक इतिहास रचना चाहिए पांडे साहब चले गए हम बोलते रह गए कम से कम आप एक महिला अधिकारी होते हुए महिला अधिकारी कर्मचारी की संवेदना शीलता को देखते हुए आपको एक दिन के पद अनुसार इनका एक भत्ता देने की जरूरत है। जनसुनवाई में लगे हुए जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके हक को आप यह जनसुनवाई करवाने के लिए पुलिस विभाग थोड़ी ना है, राजस्व में उनके अपने काम है फायर ब्रिगेड की अपनी काम है जो जनता के हित के लिए है और उनकी अपनी भत्ता बननी चाहिए मुझे अपनी बात इतनी रखती थी। मैं लिखित में भी इसका आपत्ति आपको दे रही हूं ऐसे जनसुनवाईयों को आप अब खत्म करें और ऐसे जनसुनवाईयों को कृपा करके आप अनुमति न दें। और मेरा घर का जमीन को बनवा दीजिए सही में मैं सड़क में आ जाऊंगी, मौसम बड़ा खराब है। मेरा घर जा

रहा है मैं बार–बार बोल रही हूं मेरा उसको कहीं पर थोड़ा सा जगह दे दीजिए तो मैं चली जाऊं। धन्यवाद।

333. जयंत बहिदार – आज आप यह जो प्रीस्मो स्टील ग्राम तुमीडीह का जनसुनाई करवा रहे हैं पीठासीन अधिकारी आदरणीय एसडीएम साहब और हमारे पर्यावरण अधिकारी साहू साहब सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा की यह जो डेस्क है जिसको आपने हम लोगों को सुविधा के लिए रखा है जनसुनवाई के लिए जो ईआईए रिपोर्ट बनाया गया है वह कॉपी पेस्ट है फर्जी रिपोर्ट है 10 किलोमीटर परिधि का ढंग से अध्ययन नहीं किया गया है। इस उद्योग टीओआर जारी करने के लिए भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को 22 सितंबर 2024 को पत्र दिया त्योहार जारी हुआ 30 जुलाई 2024 को और इन लोगों ने पर्यावरण का ध्यान मानसून से पहले कराया गया है 1 मार्च 2024 से 31 मई 2024 तक दीवार में कौन सा शर्त होगा इसका फैसला भी नहीं किया गया और इन्होंने ईआईए का अध्ययन कर लिया इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है यह भी गलत है इसलिए यह लोकसुनवाई अवैध है गलत है इसे यहीं पर निरस्त किया जाए यह हमारी मांग है अपने रिपोर्ट में बताया कि 20.187 हेक्टेयर जमीन को इस परिजन के लिए प्रस्तावित किया गया है और वन विभाग को जो इन्होंने पत्र दिया है क्या यह प्रस्तावित जमीन शासकीय जमीन है फॉरेस्ट की जमीन है या निजी जमीन है जब उन्होंने अपने पति लेने के लिए आवेदन लगाया तो 23 हेक्टेयर जमीन लेने के लिए प्रस्तावित किया है और 68 खसरा नंबरों की सूची दिया है जबकि रिपोर्ट में 81 खसरा नंबरों की सूची दिया है लगभग 20 हेक्टेयर के लिए तो इस रिपोर्ट में विभिन्नता है इसलिए भी इस जनसुनवाई को यहीं पर स्थगित कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने झूठी जानकारी दी है जंगली हाथी के बारे में इन्होंने बताया कि 15 किलोमीटर में यहां देखी जाती है जबकि यहां के पास के नजदीक के गांव सामारूमा में देखा गया है। हाथियों के हवागवन के लिए है यह स्थाई मार्ग है और आप लोग गलियारा इसको कैसे घोषित करेंगे उद्योगों को जो सुविधा दे रहे हैं इन्होंने अपने इस रिपोर्ट में बताया कि यहां दार्शनिक स्थल नहीं है जबकि मां बंजारी स्थल यहां पर पास में ही है क्या उसको नहीं मानेंगे क्या तो यह भी इन्होंने झूठी रिपोर्ट दिया है तुमिडीह के बारे में चर्चा करते हैं तुमि दी बंद जनसुनवाई स्थल के बाएं हाथ की ओर है हमारे पर्यावरण अधिकारी महोदय अगर आप पैदल जाएंगे तो भी एक किलोमीटर से कम है 200 मीटर के भीतर में होगा वन विभाग रायगढ़ ने अपने आदेश में लिखा है की जो हमारे जंगल और जल निकाय है वह प्रभावित नहीं होना चाहिए सिंचाई विभाग ने भी पत्र दिया है कि नर और बांध प्रभावित नहीं होना चाहिए आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदय आपने देखा होगा कि आप जी जनसुनाई स्थल पर आए हैं जिस मार्ग से लखोटन औद्योगिक मालवा डाला हुआ है बांध के ऊपर में डाला हुआ है क्यों जांच नहीं करवाया फॉरेस्ट ने पर्यावरण विभाग ने राजस्व विभाग ने क्यों जात नहीं किया अधिकारियों ने क्या आप हमें बताएंगे हमारे एसडीएम साहब यहां थे तो एसडीएम साहब भी कब देखेंगे जब शिकायत मिलेगा तभी जाएंगे क्या वहां देखने जब आप मुख्य मार्ग से आए होंगे तो यह जो

सामारूमा का नाला है उसे नाले के ऊपर भी फ्लाई ऐश डाला हुआ है हजारों टन फ्लई ऐश दो तीन जगह डाला हुआ है इस संबंध में मैं पूंजीपत्र थाना में भी रिपोर्ट दर्ज करवाया है और जो ठेकेदार हैं जिन्होंने 20 लख रुपए लेकर पटने का काम किया है उसके बारे में भी बताया है 1 महीने से अधिक हो गया ना तो कोई करवाई आपने किया है और नई पुलिस ने किया है तो नहर को पाटे जा रहे है प्रशासन का सहयोग है इसको पाटने से गांव के सिंचाई सुविधा बंद हो जाएगी आप यही चाहते हैं आप सब लोग गांव वालों को उजाड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं क्या जंगल की कटाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए वह भी नहीं कर रहे हैं आप लोग हम यहां वन विभाग और सिंचाई विभाग को इन सप्तमान विषयों पर आरोप लगाते रहें और आप लोग बस देखते रहेंगे तो आप कब जांच करवाएंगे आप मेरे भाई ने विपिन धन सेवा ने जो पहले सवाल उठाया था कि गांव का लोग कहां जाएंगे यहां पेड़ काट रहे हैं सिंचाई की सुविधा बंद हो रही है तो जनसुनवाई आप किस लिए करवाते हैं कि यहां के उद्योग लगाने के लिए यहां के लोगों के द्वारा विचार व्यक्त किए जाएं उसे पर शासन कार्रवाई भी करें ऐसा नहीं कि आप जनसुनवाई सुनी और कंपनी को मंजूरी दे दिए एक महीना पहले जो इस स्केनिया स्टील का जनसुनवाई हुआ था उसमें हमने मुद्दा उठाया था कि मालवा का पहाड़ खड़ा कर दिया है सरकारी जमीन पर वहां पर गांव के मवेशी चढ़ाने जाते हैं वहां पर हाई वोल्टेज के पावर में तीन गाये मर गए गांव के दो किस हैं एक भाजी और कोई एक उनका मवेशी मर गया उनका कोई मुआवजा नहीं मिला जब चिंता व्यक्त करता है कोई आदमी तब उसकी जांच करवानी चाहिए या फिर बोल दीजिए कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं इसका प्रकाशन भी कर दो और इसको नास्ति बध्द करके कचरे के डिब्बे में फेंक दिया कंपनी वाले गांव में जाते हैं तो अच्छे से प्रशिक्षण देना चाहिए और सही जानकारी देना चाहिए यहां किसी को पता नहीं है उद्योग का नाम भी पता नहीं है कोई स्टील प्लांट बोल रहा है तो कोई क्या और कुछ जबकि उद्योग को सभी जानकारी देना चाहिए कि इस परिजन से उनका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट महोदय जिसका जनसुनवाई आप करवा रहे हैं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा यह तय है क्या का वाले बस यही मांग रहे हैं हम चिंतित भी हैं कितने लोगों को रोजगार देंगे यहां का जब बांध पट जाएगा तो यहां के जो किसानों द्वारा सिंचाई किया जाता है बांध से उसका क्या होगा पहले भी हमने कहा कि लोगों का मुआवजा नहीं मिला है जनसुनवाई आप करने जा रहे हैं उसे पर आप कार्रवाई नहीं करते जो नुकसानदायक परिस्थितियों उत्पन्न हो रही है उसे पर कार्यवाही करनी चाहिए आपको ओरिजिनल स्तर से जो 1 किलोमीटर की दूरी में तुमीडीह ग्राम है तो आप क्यों परमिशन दे रहे हैं इतने नजदीक में गांव होने पर स्कूल भी 1 किलोमीटर दूर नहीं है अस्पताल के बारे में बहुत ज्यादा दूरी बताएं वह भी झूठी रिपोर्ट है सामारूमा तथा पूंजीपथरा के स्वास्थ्य केदो के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है वह भी झूठी रिपोर्ट द्रिया गया है स्वास्थ्य केंद्र तथा अस्पताल का जांच नहीं करवाया गया है जिंदल का अस्पताल अस्पताल माना जाएगा लेकिन क्या सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल नहीं माना जाएगा

वह किलोमीटर से कम है यहां एक दर्जन से ज्यादा आरक्षित एवं संरक्षित वन है इस कंपनी द्वारा 3200 किलोमीटर जल की आवश्यकता होगी के संबंध में जानकारी दी है क्या इसका विभाग से सरकार ने जांच करवाया है इन्होंने कह दिया कि हम घरेलू उपयोग हेतु ट्यूबवेल से पानी लेंगे और प्लांट चलाने के लिए जो जिंदल का बांध बना हुआ है उनसे पानी का उपयोग करेंगे और उन्होंने बताया कि 532 किलोमीटर पानी का अपशिष्ट निकलेगा जिसको उन्होंने अपने फैक्ट्री में सिंचाई करने हेतु उपयोग में ले जाने का रिपोर्ट दिया है रायगढ़ के ऐसा कौन सा उद्योग है जो अपने उद्योग से जनित प्रदूषित जल का उपयोग अपने ही प्लांट में करता है हर उद्योग का पानी बाहर जाता है किसानों के खेत में आदिवासियों के घर में एवं नदी नालों में जा रहा है केलो नदी, कुरकुट नाला तथा बांध में जा रहा है सब आपकी आंखों में दिख रहा है फिर भी आपकारवायी नहीं करते आप अभी यहां बात कर जाएंगे कि यहां कितने लोगों को रोजगार देंगे यह सब बातें लिखित में दर्ज होनी चाहिए तो 1000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में कितने लोगों को और स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगा कि बाहर से ले आएंगे आप इन सब को दर्ज कर लीजिए प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से जो तमनार क्षेत्र का जंगल है और कब से क्रमांक 846 उससे 20 मीटर की दूरी पर होना बताया गया है अगर यहां उद्योग लगेगा तो इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा क्या यह भी चिंता का विषय है इस संबंध में फॉरेस्ट विभाग ने अपना रिपोर्ट दे दिया लेकिन कार्रवाई शून्य है हमने पहले भी बताया कि इस परियोजना क्षेत्र के बांध में वेस्ट मटेरियल नहीं डालना चाहिए चाहे वह ठोस अपशिष्ट हो, बोल्डर हो, मालवा हो, फ्लाई ऐश या राख हो। मैं आपको बताना चाहूंगा पीठासीन अधिकारी महोदय की इस क्षेत्र के चारों ओर मालवा डाला गया है किस कंपनी ने इसे डाला है इसकी जांच करवाई है आप और इस बांध को बचाने के लिए अगर आप गंभीर होंगे तो इसको हटवाइए यह निश्चित है कि इस प्रस्तावित परियोजना के जो मालिक हैं उन्होंने नहीं डाला होगा यह तो पूर्व से ही डाला हुआ है मगर जिन लोगों ने डाला है उन पर कार्यवाही होना चाहिऐ और मलवा हटाने का काम करें तभी यह बांध बचेगा। मैं तो कहूंगा कि इस गांव वालों को एकत्रित होना चाहिऐ उद्योगों के खिलाफ में जो मलवा डाल रहे है और ये उद्योगों के काम को बंद करना चाहिऐ। आपके इस लोक सुनवाई का हम विरोध करते है। इस जनसुनवाई को स्थगित किया जाये। परियोजना झूठी रिपोर्ट पर आधारित है और जब तक इस तमाम चिंताओं को गांव वाले की समस्या जब तक दूर न हो तब तक की इस परियोजना को मंजूरी न दिया जाये। धन्यवाद।

334. जानवी – मैं विरोध करती हूँ अगर चारो तरफ कारखाना बन जायेगा तो हम कहां जायेंगे।

335. पुष्पा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

336. उमा साहू – जितना प्लांट बना है उसमें हम रह नहीं सकते अगर ये आयेगा तो हमारा भविष्य क्या होगा इसलिये विरोध है।

337. दुखिया प्रधान – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

338. पंकजिनी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

339. सफेदा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

340. पुष्पालता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

341. गंगा भोय – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

342. तुलसी प्रधान – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

343. सविता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

344. सुधा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

345. महिमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

346. तपी गुप्ता – जो यहां लोकसुनवाई हो रहा है इसके विरोध में बोलना चाहती हूँ। आये दिन विकासखण्ड में एक्सिडेंट से मृत्यु होती है। बच्चे का शारिरीक विकास नहीं हो रहा है ये पर्यावरण के कारण होता है और एक्सिडेंट कंपनी के डंफर द्वारा होता है। यह हमारे पिढ़ियों के लिये गंभीर मुद्दा हो गया है। पेड़ काटने और उद्योगो से निकलने वाले हमारे पर्यावरण को खराब कर रहे है। अगर हम आज नहीं जागे तो बहुत देर हो जायेगीं। कई लोग अपनी जान सड़क दुर्घटना में गवा चुके है। जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। यहा के भोले–भाले लोगो की जमीन कंपनिया हड़प ले रही है। उद्योगो पर निगरानी रखी जाये। किसानों को फसल का उचित मूल्य दिया जाये। जो भी समर्थन दिये है वो अपने आने वाले पिढ़ी को नहीं ध्यान दिये है। आज की लोकसुनवाई का मैं विरोध करती हूँ। इस गांव के किसान का जमीन में फसल नहीं हुआ तो वो सब विरोध करें। 1 लाख रूपये 1 फसल में मुआवजा दे। यहा पहले रबी और खरीब का फसल होता था। अब पानी यहां नहीं आ रहा है और जो भी गंदा पानी है वो डेम में जा रहा है।

347. मिथिला साहू – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

348. प्रतिमा, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

349. जयदिप – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

350. बसंती, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

351. सरस्वती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

352. गुरबारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

353. राजेश्वरी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

354. ज्योति – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

355. मिंद्रा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

356. ईश्वरी प्रधान – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

357. पुर्णमासी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

358. सुनिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

359. चेतना – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

360. विशाखा, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

361. संतोषी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

362. सुकांती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

363. तुलसी, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

364. तारा प्रधान – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

365. अनिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

366. गंगली – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

367. सरिता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

368. सविता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

369. प्रेमवती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

370. निलावती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

371. सविता – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

372. सुरूची – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

373. कोदो – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

374. प्रेमशिला – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

375. यशवंती, तुमीडीह – जो धूल डस्ट हो रहा है हमारे आने वाले पिढ़ी में खतरा है इस जनसुनवाई को रोक देना चाहिये।

376. भोजकुमारी प्रधान – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

377. अंजली – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

378. पार्वती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

379. हिरणमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

380. बुधियारिन – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

381. सनिरो – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

382. अमरमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

383. परशकुमारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

384. किरण – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

385. खिरवती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

386. किसनमती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

387. चंद्रीका – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

388. सागरवती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

389. बिना – हम लोगो को रास्ता दो। मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

390. बसंती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

391. सीमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

392. फूलवती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

393. खीरमती – विरोध। सास लेने में प्राबलम होता है।

394. मीरा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

395. बुधियारिन – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

396. नाधी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

397. तारावती – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

398. गुरबारी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

399. चैती बाई – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

400. पंचमराम, तुमीडीह – यहां प्लांट बहुत बढ़िया है। पेमेंट देने के दिन ठेकेदार गायब हो जाता है। बच्चा बोलता है मेरे पापा रसगुल्ला लेकर आये बोलते है। समर्थन है।

401. दिलकुंवर – विरोध। आने वाले पिढ़ी के लिये बहुत खतरा है ये प्लांट नहीं बनना चाहिये। पहले बहुत अच्छा पर्यावरण था। मेरा भैस चलते चलते स्केनिया में मलवे में चला गया। इस प्लांट का विरोध करता हूँ।

402. सजग राम, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

403. हेमकुंवर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

404. मन्नू, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

405. सुभाष राम – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

406. ध्वजा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

407. शशिभूषण, तुमीडीह – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का विरोध है।

408. मुराली माझी – विरोध करता हूँ। यह प्लांट नहीं बनना चाहिये हमको नौकरी नहीं मिलता है अगर काम कर भी लेते है तो पेमेंट नहीं देते है। पहले डेम का पानी पिते थे अभी डेम में नहा भी नहीं सकते।

409. राजेश त्रिपाठी, रायगढ़ – सम्मानीय पीठासीन अधिकारी महोदया, सम्मानीय पर्यावरण अधिकारी, सम्मानीय समस्त विभाग के अधिकारी गण कर्मचारी गण ,हम सबकी सुरक्षा में लगे समस्त अधिकारी गण पुलिस के कर्मचारी गण और इस ईआईए को बनाने वाली कन्सल्टेंट जो कम्पनी है हम सभी का, हार्दिक अभिनंदन करते है, स्वागत करते हैं। महोदया! आज जो जनसुनवाई हो रही है वो केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के

अधिसूचना 2006 के अधिसूचना के मुताबिक जनसुनवाई की जा रही है। इस जनसुनवाई का पहला आब्जेशन ये है कि उसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है, कि जो कम्पनी की ईआईए बनेगी वो अंग्रेजी के अलावा हिन्दी और स्थानीय भाषा में बनाई जायेगी पर कम्पनी द्वारा जो ईआईए दी गई है ये केवल अंग्रेजी में है और अभी तक जो लोग बोले हैं आप उनकी क्षमता को देख चुके हैं कि अगर ओ शुद्ध तरीके से हिन्दी नहीं बोल सकते तो ये 700 पन्ने की जो बनाई गई ईआईए है इस पर ओ लोग अपना अभिमत कैसे दे सकते हैं, तो सबसे बड़ा प्राब्लम ये है कि जब स्थानीय भाषा में ईआईए बनाई जानी चाहिए तो क्या कन्सल्टेंट कम्पनी को ये मालूम नहीं है कि यहां कि स्थानीय भाषा हिन्दी और छत्तीसगढ़ी है, और फिर ईआईए को उन्होने हिन्दी में, ये ईआईए लगभग 10 दिन से पढ़ रहा हूं। ये अंग्रेजी में जो ईआईए दी गई है मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है। तो मैं ये मानता हूं कि रायगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनमें से किसी आदमी को इस ईआईए में क्या लिखा गया है ये नहीं समझाया जा सका और उनको समझ में नहीं आ रहा। यहां कॉफी लोगों ने बोला और एनजीटी के आदेश भी है कि जब तक ये रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के अंदर शिवपाल भगत वरसेस भारत सरकार एवं राज्य सरकार के एनजीटी के आदेश मे है कि इस क्षेत्र में पहले पर्यावरणीय अध्ययन करवाया जायेगा। इसके बाद अगर यहां का पर्यावरण की क्षमता अनुकूल रही उन परिस्थितियों में नये उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के विस्तार की अनुमति प्रदान की जायेगी, जो कि अभी यहां किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय अध्ययन नहीं किया गया है और न तो ये पता है कि यहां पी.एम 10 और पी.एम 2.5 की मात्रा क्या है? अगर यहां गर्मियों के दिन में देखें तो पी.एम 10 और पी.एम .2.5 की मात्रा जो है वो मापदण्ड से से कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा हो जा रही है जैसे काफी महिलाओं ने कहा कि अगर उद्योग स्थापित होगा तो उससे अलग–अलग प्रकार की बीमारियां यहां फैलेगी, शायद उनको ये नहीं मालूम आज स्नोफिलिया, दमा, बीपी, कैंसर, सिल्कोसिस और सिल्का जैसे पत्थर से होने वाली बिमारी जो हैं आम बात हो चुकी है और महिलाओं में और स्तनधारी जीव हैं उनमें अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाओं में स्तनधारी जीवों में गर्भपात की बीमारी ज्यादा है। महोदया! कम्पनी ने अपनी ईआईए में लगभग 1000 करोड का पूंजी निवेश करने की बात किया है और इस पूंजी निवेश के लगभग 80 एकड़ इनके पास जमीन है, उद्योग स्थापित हो रहा है ये लगभग 50 हेक्टेयर जमीन में स्थापित होगा। जैसा लोगों ने बोला कि यहाँ एक बिलासपुर डेम है और उस बिलासपुर डेंम में कम से कम 1991 से लेकर 2004 तक इस क्षेत्र में जब मै काम करता था देखा कि एक तो वे कृषि के लिए उपयोग करते थे दूसरा जो उनके पास पशुधन था उसके निस्तार के लिये और स्वयं के निस्तार के लिये उपयोग करते थे। अभी लोगों ने कहा कि उस डेंम के चारो तरफ फ्लाई ऐश और गंदे पानी की वजह से वो कितना प्रदूषित हो चुका है कि उस तालाब का पानी इंसान तो क्या जानवरों के निस्तार करने लायक नहीं है। अगर उद्योग स्थापित होगा उससे इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर प्रदूषण फैलेगा। कम्पनी की अगर दस्तावेजों को देखा जाय तो

जिनका जल, जंगल प्रदूषित हो रहा है। यहां काफी युवा वर्ग के बच्चे बैठे हुए हैं इससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में किस कदर यहां के युवाओं के बीच में बेरोजगारी है और मुझे लगता है कि ये जितने युवा बैठे हैं ये हर युवा किसी न किसी कम्पनी में नौकरी करना चाहते हैं, योग्यता के आधार पर पदस्थापना चाहते हैं परन्तु रायगढ़ में देखा जाए तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का पूंजी निवेश हुआ है और छोटे बड़े मिला के 173 उद्योग और 10 से ज्यादा यहां कोयला खदाने संचालित हैं जिनका उत्पादन चालु है परन्तु हम जिला रोजगार कार्यालय के पंजीयन को देखें तो लगभग 2 लाख 20 हजार युवाओं का, बेरोजगार युवाओ का रजिस्ट्रेशन है इसके बाद भी युवाओं ने व्यापक पैमाने पर दूसरे राज्यों मे पलायन करके काम करने लोग जाते हैं, तो अगर स्थानीय उद्योंगों में स्थानीय युवाओं को उनकी क्षमता के मुताबिक अगर क्षमता नही हैं तो उनकी क्षमता को विकसित किया जाना चाहिए और योग्यता और क्षमता के मुताबिक दिया जाना चाहिए। मैडम ये 10 कि.मी. का नक्शा देख रहा था और इसका अंतिम छोर जो है 10 कि.मी अगर आप उद्योग स्थल से देखें तो घरघोड़ा के आगे कंचनपुर गांव है वहां तक है। अगर इस साईड देखें तो आपका छोर जो है टेन्डा नावापारा से आगे एयर डिस्टेंस में वहां जाता है। अगर इधर देखें तो इन्हीं का नक्शा ये कहता है कि ये क्षेत्र जो है बरलिया, बलौद, रेगड़िया तक जाता है। अगर सच्चाई से देखा जाय तो इनकी जो ईआईए है वो नगर निगम घरघोड़ा में भी नही है तो वहां के लोग अपनी आपत्ति कैसे रखेंगे, टेन्डा नावापारा में देगें, डेहरीडीह में नहीं गई है, डोंगरमुड़ा में नहीं गई है दबगांव में नहीं गई है, हर्राडीह में नहीं गई है, कंचनपुर में नहीं गई है, बरलिया में नहीं गई है, तो अगर देखा जाय तो इनके नक्शें के मुताबिक इनका प्रभावित एरिया है आसपास के अगर सभी गावों को, ग्राम पंचायत को जोड़ा जाय तो लगभग ये 42 होते हैं और पर्यावरण विभाग ने खुद 10 से 15 कॉपी जमा की है तो कहां 42 प्रभावित गांव है और कहां आपकी ईआईए जो गांव में गई है वो 10 से 12 गांवों में गई है। इसका मतलब कुल आबादी का लगभग 80 प्रतिशत जो हिस्सा है, उसको आपने अपना दस्तकत पेज ही नहीं दिया वो अपना व्यू कैसे रखेगा? तो पहली बात ये कि 80 प्रतिशत लोगों के व्यू नहीं आया 20 प्रतिशत जो प्रभावी क्षेत्र के 1–2 कि.मी. तुमीडीह, छाल, छर्राटांगर सामांरूमा और आपका पूंजीपथरा यहां के लोग आये हैं। ये जो 20 प्रतिशत लोग हैं उनमें से 80 प्रतिशत लोग विरोध कर रहें हैं और 20 प्रतिशत लोग कम्पनी के समर्थन में हैं तो 80 में 20 देख लिया जाय तो स्थिति ऐसे है जैसे भारत में लोकतंत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया है 1 करोड़ में 60 लाख लोग वोट देते हैं, 60 लाख में 40 लाख लोग बंट जाते हैं और लाख वोट जिस कम्पनी को मिल जाता है वो भारत के लोकतंत्र की सत्ता में बैठ जाते हैं। उसी क्रमोन्नति के साथ देखें तो हमारा भी जनसुनवाई कि प्रक्रिया है वही 80 प्रतिशत लोगों को जानकारी दस्तावेज नहीं मिला, 20 प्रतिशत लोग जिनको दस्तावेज मिला भी उसमें से 80 प्रतिशत लागों ने विरोध किया और जो 5 प्रतिशत लोगों ने समर्थन किया उस आधार पर उद्योग स्थापित हो जायेगा। तीसरी बात ये सर! ये पूरा क्षेत्र पेसा एक्ट क्षेत्र में आता है और पेसा एक्ट क्षेत्र हिसाब के अनुसार आपको

कोई भी प्रकिया इस क्षेत्र में संचालित करना है,जनसुनवाई भी तो आपको प्रभावित क्षेत्र के एरिया के ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लेना अनिवार्य है ये चीज लिखी हुई है पेसा एक्ट कानून छत्तीसगढ़ का, गूगल में देखिये पेज क्रमांक 16, 17, 18। उसमें भू–अर्जन प्रकिया से लेकर उद्योग स्थापना, उद्योग अलग तरह से खनन है तो आपको प्रकिया क्या अपनानी है। तो आपने तो ग्राम सभा अभी जो जनसुनवाई हुई इसी के लिये आपके कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार का ग्राम पंचायत से अभिमत नहीं लिया गया है। ग्राम सभा का आपके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तीसरी बात इस कम्पनी को पानी लगेगा और वो पानी ये कम्पनी बोल रही है कि कुरकुट नदी से लेकर आयेगें और कुरकुट नदी में जो डेंम बना हुआ है। जल संसाधन विभाग का है वो जिंदल को डेंम है तो जब जिंदल को आपका जल संसाधन विभाग जो पानी का एम.यू साईन किया है ओर उतना पानी अगर जिंदल को नहीं मिल रहा है तो आपको कुरकुट नदीं में कहां से पानी मिल जायेगा? ये बुनियादी सवाल है आप बोल रहें है कि आप आवेदन किये हैं, आवेदन की आपको अनुमति नहीं मिली है और कुरकुट नदी से पानी आपको नहीं मिलेगा चाहे आप जो भी कर लो क्योंकि जिंदल के ताकत के सामने आप कुछ भी नहीं हो, तो आपको पानी नहीं मिलेगा। जब आपको पर्यावरण स्वीकृति मिल जायेगी फिर आप क्या करेंगे? फिर आप 8–8 इंच के सैकड़ों बोर करेंगे, और हजार–हजार फीट से ग्राउण्ड वाटर से आप पानी की चोरी करेंगें और उस चोरी से उद्योग का संचालन होगा। मैंडम! अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ लोग बैठे थे कि अधिकारी महोदय जी समझ में नहीं आता कि चोरी कैसे होती है कम्पनी चोरी कैसे करती है। मैं बोला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सामान्य पढ़ा लिखा हूं आपको मालुंम है कि अगर 1 पावर प्लांट 1000 मेगावाट का है तो उसको 16 से 18 टन कोयला लगता है, 16 घन क्यूबिक मीटर पानी लगता है अगर वो 1000 मेगावाट इन्टू 1 कर दिये इन्टू 365 दिन कर दिये पता चल जायेगा कि आप कितना पानी, कोयला खपत कर रहें हैं आपका कितना राख निकला और आये दिन कम्पनियां इसलिये नहीं लग रही है कि ये राष्ट्रभक्त है देशभक्त हैं, देश के प्रति बहुत वफादार हैं। ये कम्पनियां देश भर के स्थापित इसलिये हो रही हैं कि एक तो यहां जमीन सस्ती, कोयला खदान सस्ता, आदमी सस्ता और हमारे राजनेता तो बहुत ही सस्ते हैं उनको कोई भी कहीं भी खरीद ले सकता है। इसलिये देश भर के भी गुजरात से अदानी साहाब यहां नहीं आते और जिंदल साहब हरियाणा से नहीं आते, कोई आदमी अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना नहीं चाहता, और तीसरी बात ये है कि रात दिन आप चोरी कर सकते हो, बिजली चोरी, पानी चोरी, ईएसपी भी चलाओं तो 500 रूपये टन लागत बढ़ जायेगी, तो ईएसपी नहीं चलाते उससे 1 टन कोयला चोरी, अगर आप लोहा उत्पादन करेंगे अगर इन्टू 500 कर दीजिए जो 5 लाख रूपये ईएसपी चोरी में, देखने वाला तो कोई है नहीं न, और फिर कम्पनी ये भी कहती है–मैंडम! हम सीएसआर के तहत स्वर्ग बना देगें। सर! 1988 में मैं यहां पढ़ने आया था और 1991 से लगभग इस पूरे क्षेत्र में घुम रहा हूं आज तक रायगढ़ में मेरे को एक भी ऐसा गांव नहीं दिखा जो स्वर्ग बना हो लेकिन नर्क कितना बना है वो मैं बता सकता हूं आपको। जिनका जल चला गया, जिनका

जंगल चला गया, जिनका जमीन चला गया, वे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं ये तेन्दू पत्ता, खेती करते है ये इनका पहला रोजगार है, दूसरा ये वनोपज का काम करते हैं तेन्दू, महुआ, हर्रा, चार, चिरौनी, जड़ीबूटी, झाड़ू रायगढ़ तक बिकने जाता है, और तीसरा इनका काम है पशुधन का पालन करना। जब आप जल जंगल जो लिये सो लिये बाकी बचा उसे प्रदूषित कर दिये तो आज इस क्षेत्र मे देख लिजिए पालतू जानवरों की संख्या क्या है? तो उससे स्थिति ये होती है कि जो इस पूरे क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा है अगर महिला बाल विकास की रिपोर्ट देखें तो ये खनन और माईनिंग क्षेत्र में साहब पुरे जिल में 11 प्रतिशत बच्चे कुपोशित है और हमारे इस क्षेत्र में जहां विकास की बड़े–बड़े दावे किये जाते हैं वहां 16 प्रतिशत बच्चे कुपोशित हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूं आपके महिला बाल विकास का कॉफी डाटा दबाने के बाद ये है और आपके ईआईए रिपोर्ट का बाल–विकास आंगनवाड़ी का कोई अध्ययन नहीं है, प्राईमरी स्कूल का कोई अध्ययन नहीं है, मिडिल स्कूल में पड़ने वाले बच्चों का कोई अध्ययन नहीं है न तो किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल रिपोर्ट है। ये बीमारियां किस तरह फैल रही हैं यहां के लोगो पर कितना प्रभाव पड़ रहा है यहां कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है इसका कोई अध्ययन ही नहीं है। अंगेजी में लिख दो गांव के लोगों को समझ में आयेगा नहीं बेचारे हिन्दी नहीं जानते अंग्रेजी कहां से पढ़ के आपको क्या बताएंगें और आप अपना उद्योग स्थापित कर लो। मैडम! अगर इस पूरे परिपेक्ष्य को देखा जाय तो हम ये कह सकते है कि नये उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योंगों के विस्तार की किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि देश के लिए जो डेवलपमेन्ट जो है न आप रात–दिन ईआईए लिखते हैं, आपलोग नौकरी करते हैं, मैं भी अध्ययन करता हूं, मैं इसलिए करता हूं सर कि हम अपने परिवार को बेहतर रख सकें। रात–दिन इसिलिये करते हैं और बेहतर रखने के लिये हमको क्या चाहिए–पैसा। और पैसा चाहे जैसे भी आए पैसा आना चाहिए, चाहे करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाये तो हो जाये। हम शायद इसिलिये ये सब करते हैं। उद्योगों की स्थापना में जानते हैं लगभग रायगढ़ जिले में 73 लोग पर मंथ है एक्सीडेंटल मौत। आज तक 1991 की जो सड़क थी आज भी वहीं सड़के हैं और यहां उद्योग इतने स्थापित हो गये लगभग 10 हजार भारी वाहन, जो कोयले ते चलते हैं आयरन ओर में चलेते हैं गिट्टी में चलते हैं, लाइम स्टोन पत्थर में चलते हैं तो आपको पहले क्षमता के विस्तार करने के पहले आपको सड़क बना लेनी चाहिए जिससे हम यहां सड़क में होने वाली मौतों को रोक सकें। अगर हम दर्घटनाओं को नहीं रोक पाते और मरने वाले लोग कौन हैं? सर 100 उन लोग जो मरते हैं उनमें से लगभग 90 से 95 प्रतिशत मरने वाले लोग हैं उनकी उम्र जो है 18 साल से लेकर 40 साल के उम्र है। आपको बात दूं पुलिस डिपार्टमेन्ट के यहां हमारे एडिसनल एस.पी साहब बैठे हैं आप उनसे पूछ लिजिए कि मरने वाले का एवरेज जो उम्र है वो क्या है? तो एक कारण ये कि दुर्घटना, काफी बड़ी बड़ी बाते होती है जब आप डेवलपमेन्ट की बात करते हैं तो बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर के सांसद हैं उन्होने 12 दिसम्बर 2024 को लोकसभा में उद्योग मंत्री से एक प्रश्न पूछा कि आप

बताईये कि कम्पनियों का सीएसआर कितना खर्च हो रहा है? 2023–24 में 273 करोड़ रूपये सीएसआर में खर्च हुआ और 273 करोड़ की जानकारी किसी को नहीं है, खर्चा कहां हुआ किसने किया, उसका कोई माई–बाप नहीं है सर, 273 करोड़ खर्चा हुआ, अब फिर जिला खनिज न्यास कहां है? क्योंकि ये एरिया 20–25 कि.मी. है तो 10 कि.मी. की एरिया में 70 प्रतिशत खर्च करना है 30 प्रतिशत को 25 कि.मी. में खर्च करना है। उसमें अब तक 1536 करोड़ लगभग खर्च हो गये तो 1536 और 276 जोड़िये लगभग ये साढ़े सत्रह सौ करोड़ हो गया। और रायगढ़ जिलें में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है 500 तो 500 में इन्टू 3 करिये, 573 का अगर भाग करेंगे तो एक ग्राम पंचायत को लगभग 3 करोड़ 20 लाख–25लाख रूपये मिल रहे हैं, और अगर 3 करोड़ 20 लाख रूपये पर ग्राम पंचायत को मिल जाये तो फिर स्वर्ग बनाने की जरूरत नहीं गांव वाले खुद अपना स्वर्ग बना लेगें। अच्छी स्कूल बना लेंगें, अच्छा हास्पिटल बना लेंगे, रोजगार के अवसर पैदा कर लेगें। आज का क्या है कि आपका सीएसआर को जो पैसा है जब अमित कटारिया साहब कलेक्टर थे उन्होने डण्डे मारकर सभी कम्पनियों का पैसा अपने खाते में जमा करवा लेते हैं। और जानते हैं वो जो जिला खनिज न्याय है डिस्ट्रीक्ट मिनिरल्स फण्ड वो डिस्ट्रीक्ट मिनिरल्स फण्ड नहीं है हमारे जिले में डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट फण्ड है। उस पैसे को कलेक्टर जैसा चाहे जहां चाहे, जब भी जरूरत हो वो खर्च कर सकता है। हमारे यहां गिफ्ट में डीएमएफ का पैसा खर्च हो गया। कई अधिकारियों के बंगले में एसी, कूलर लगाने में खर्च हो गया। और आज भी स्थिति ये है कि गांव में प्राईमरी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, हॉस्पिटल है नर्स नहीं है डॉक्टर नहीं है दवाईयां नहीं है, तो आज अगर स्टेस देखा जाय तो फिर उस डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो मॉडल आज तक एक भी कम्पनी एक गांव को गोद लेके आज तक इन 30–32 सालों में शुद्ध पेय जल नहीं दे पाई उस गांव को हम कैसे डेवलमेंट मान ले और जब ये कम्पनी लगेगी तो इन्होने बताया 0.64 कि.मी. यहां से इस प्रोजेक्ट एरिया से तुमीडीह गांव की दूरी है सर। अब यहां स्वभाविक है उनके चिन्ता कि अगर इस गांव में देखा जाय तो कम्पनी से निकलने वाला जो डस्ट है वो सबसे ज्यादा प्रभावकारी होगा जो हैवी वेट मटेरियल गिरेंगे जो तुमीडीह में गिरेंगे, सामारूंमा में गिरेंगे, छर्राटांगर में गिरेंगे, डोगरमुड़ा में गिरेंगे और आप भी अपनी ईआईए रिपोर्ट में लिखेंगे, दिशा निर्देश के अनुसार में स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, आप जो ईआईए बनाने वाली एजेंसी है सर! ये रायगढ़ में 10 से ज्यादा ईआईए इन्होने बनाई है, जनसुनवाई करवाई है और हमने उसमें बोला है। जिनकी सर आप पिछली जनसुनवाई करवाये हो उन कम्पनियों से जरा ये तो पूछ लिजिए कि आपकी ईआईए में मैने लिखा था साल भर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे वो कम्पनियां कितने गांवों में आज तक कैम्प लगा के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण की है। ये आपकी ईआईए में लिखा है इसने भी लिखा है। इसिलिये मै बोलता हूं कि जो ईआईए बनती है सर ये कट इन पेस्ट है इसमे केवल एक कम्पनी की ईआईए से दूसरी बन जाती है उसमें नाम, गांव का नाम तारीख और बाकी डाटा रह जाते हैं। तीसरी बात ये है सर! कि आपका ये जो नक्शा है हमारे पर्यावरण अधिकारी भी देखे

होगें इसमें जो आपका 10 कि.मी. का जंगल का एरिया है वो स्वतः ही बता रहा है कि लगभग 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के आसपास पूरा जंगली एरिया है इस नक्शे के मुताबिक और ये 60 प्रतिशत जंगल है तो निश्चित तौर पर यहां के जो मूल निवासी है वो महुआ, डोरी, चिरौंजी, हर्रा, बेहरा ये उन्हे कलेक्शन करते हैं उसको बाजार में बेचते हैं और उससे अपने बच्चों की फीस, परिवार में कोई बीमार पड़ता है उसकी दवाई, उससे शादी ब्याह भी इसमें करते हैं, तो अगर आप ये सोचों कि एग्रीकल्चर एक फसली यहां ज्यादा जमीन है और एक फसल के अलावा उन लोगों की निर्भरता वनोपज और पशुधन पर निर्भर हो जाती है। इनके आजीविका के लिए कम्पनी क्या करेगी ये कहीं पर भी ईआईए में नहीं लिखा गया है। अभी कॉफी महिला यहां स्व–सहायता समूह की महिला यहां आई इन्होंने कहां कि मैं फलने महिला स्व सहायता समूह से बात करती हूं, कुछ महिलाओं ने चिन्ता जताई कि अगर कम्पनी यहां उद्योग स्थापित होगा इससे यहां के कृषि पर, पशुधन पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर व्यापक पैमाने पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। और उस दुष्प्रभाव की वजह से उनकी जिंदगी नर्क बन जायेगी और सही कहना है जितने क्षेत्र में जिन आधे – 1 कि.मी दूर के स्थान पर कम्पनियां स्थापित हैं आज उन गांवों के क्षेत्र में देखिए और अगर वो कम्पनियां वहां स्थापित है आज वहां के जनजीवन जो लोंगों का दिनचर्या है उसको आप देखिए, लोग बीमारियों से कितने मौत होती है इसका कोई अध्ययन इस क्षेत्र में है ही नही तो हमको लगता है कि इस बात पर भी कम्पनी कन्सल्टेंट की बात और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैडम आज तक ये लगभग 127 नम्बर की जनसुनवाई हो रही है, जिसमें मैं हिस्सेदारी लिया हूं। और लगभग 10 से ज्यादा अलग–अलग कम्पनियों के कन्सल्टेंटो ने यहां ईआईए बना ली है, और ये सच्चाई है मैडम कि आज तक कोई भी कन्सल्टेंट की जमीर में उस गांव को देखेगी ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर कन्सल्टेंट की टीम अगर यहां का जल प्रदूषण का माप लिया है, वायु प्रदूषण का माप लिया है, ध्वनि प्रदूषण का माप लिया है तो कम्पनी के कन्सल्टेंट उन 10 आसपास के सरपंचों का नाम बता दें, पंचायत सचिव का नाम बता दें, रोजगार सहयाक का नाम बता दें। आए ही नहीं ये परिस्थितियां हैं और कन्सल्टेंट टी.ओ.आर के मुताबिक क्या लिखा है सर? फिर एस.आई.ए क्या होता है? आपने सोशल इम्पैक्ट असेस्मेंट रिपोर्ट दी है हिन्दी में 5–6 पन्ने हैं। इस कन्सल्टेंट, जो एस.आई.ए रिपार्ट बनाना है सर, ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं परन्तु लगभग 20 साल से एस.आई.ए पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी भी मेरा एक अध्ययन खनन क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों, लिंग आधारित परिवर्तन, जितना आया है उस पर मैं एक अध्ययन कर रहा हूं और वो बहुत ज्यादा है तो अगर हम उसमें भी देखते है कि जब जब आपने इस क्षेत्र में अध्ययन अगर किया तो उस अध्ययन रिपोर्ट में और हम जो अध्ययन कर रहें हैं उसमें दोनों में अंतर है। हम उस गांव में 15 प्रतिशत लोंगों का सैम्पलिंग एक अध्ययन कर रहें हैं बकायदे फार्म से दूसरा उस गांव में बड़े किसान हैं, मध्यम किसान हैं, युवा हैं महिलाएं हैं, युवतियां हैं उन सभी वर्गों से लेके पुरे खनन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों में अलग–अगल डिफेंस में क्या–क्या मुद्दे आए, इसका कहीं

Asalu

आपके पास कोई अध्ययन नहीं है और मजे८की बात इसमें सर ये है जो एस.आई.ए. सोशल इम्पैक्ट असिस्मेंट रिपोर्ट होता है अगर उस घर में, किसी परिवार में एक गर्भवती महिला है उसके पेट में पलने वाले बच्चे का भी सोशल इम्पैक्ट असेस्मेंट बनेगा और जो उस घर मे 90 प्रतिशत का महिला यां पुरूष बुढ़े हैं तो उनका भी सोशल इम्पैक्ट असिस्मेंट का रिपोर्ट बनेगा। आप भी इस ईआईए में 42 अगर नगर निगम और गांव को देखा जाए एक भी गांव के एक भी परिवार का सोशल इम्पैक्ट असिस्मेंट नहीं रहा है और नहीं लगा है, तो क्या सोशल इम्पैक्ट असिस्मेंट आपने गर्भ में पलने वाले बच्चे का अलग बनेगा, आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चे का अलग बनेगा, जो प्राईमरी स्कूल में पढ़ते हैं उनका अलग बनेगा, मिडिल वाले का अलग बनेगा, जो पढ़ाई छोड़ के अलग है उनका अलग बनेगा, 18 से 40 के उम्र का अलग बनेगा और जो 40 से ऊपर हैं उनका अलग बनेगा तो ईआईए में एस.आईए कहां हैं? जब एसआईए है ही नहीं आप बोलोगे ये एस.आई.ए. है ऐसा एसआईए इतने पन्ने का तो मैं रोज बनाता हूं सर! इतने पन्ने की एस.आई.ए अगर मैं किसी गांव में जाता हूं तो रोज बना के रोज एस.आई.ए. लिखता हूं, ओ भी नहीं है और अंतिम बात ये है कि–सर जब जनसुनवाई होती है तो कॉफी सुरक्षा लगाया जाता है और यहां ऐसा कुछ नहीं होता, केवल एक जनसुनवाई में ही हिंसा वृत्ति ओ भी कम्पनी की बदमाशी से हुई थी ओ भी गारे IV/6 कोयला खदान का इसके बाद कोई हिंसा नहीं हुई। हम रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख देते हैं कि दिनांक इतने–इतने को जनसुनवाई है सुरक्षा व्यवस्था के लिये 500 फोर्स भेज दी जाय तो 500 फोर्स आ जाती है। मै ये कहना चाहता हूं मैडम जिसकी सुरक्षा के लिये यहां पर बैठे हुए पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी है इनकी एक दिन की सैलैरी जो है कम्पनी को पुलिस वेल फेयर में या पुलिस अधीक्षक के खाते में जमा करें और जो भी अधिकारी/कर्मचारियों की मासिक सैलेरी बने तो वो प्राप्त की हुई राशि जो है इनकी सैलेरी में जोड़कर दे दिया जाय, अतिरिक्त सेवा के रूप में, मैं भी कहीं काम करता हूं मेरे को भी ओवरटाईम मिलता है। पुलिस के किस कर्मचारी को ओवरटाईम मिलता है। ये अभी यहां मेहनत की, कोई धरमजयगढ़ से आया है कोई घरघोड़ा से, कोई लैलुंगा से, कोई तमनार से कोई छाल से ये अभी वापस जायेंगे वर्दी उतार नहीं पायेंगे इनकी फिर से ड्यूटि लग जायेगी और इनको मिला क्या? अगर रास्ते में इनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाय तो इनके परिवार को सांत्वना और गुलदस्ते के अलावा क्या मिलेगा? इनके बच्चों को क्या मिलेगा? किसी जमाने में रायगढ़ में जब राहुल शर्मा एस.पी. थे तो उन्होंने बनाया था उस पुलिस वेल फेयर में कम्पनियों से एक निर्धारित राशि ली जाती थी और उस राशि से पुलिस परिवारों से किसी बच्चे का एडमिशन है, किसी बच्ची की शादी है, किसी के परिवार में कोई घर बनाना है, उससे मैंने देखा यहां एडिशनल एस.पी. चौहान साहाब उसके अध्यक्ष थे और वो उस पैसे को आवश्यकता के हिसाब से और मद के हिसाब से पैसा देते थे, वो पुलिस वेल फेयर अब बंद हो गया। तो इनको क्या मिलता है, सिवाय अभी 4–6–10 लोग आयेगें वो ईआईए पर कम बोलेंगे और पुलिस वालों को ज्यादा गाली देगें। तो क्या हमारी पुलिस

हमारे बीच में गाली खाने के लिये पैदा हुई है। तो ये भी एक एसआईए का हिस्सा है तभी तो बोला हूं, सोशल इम्पैक्ट असिस्मेंट रिपोर्ट ये गाली खाने के लिये पैदा नहीं हुए हैं। उस गाली के बदले अगर इनको कुछ मिले इनके परिवार को कुछ मिले तो आप 500 फोर्स मंगाईये नहीं तो एक थाने को आप पत्र लिखिए उस थाने में 5–6 सिफाई होगें, 1–2 हवलदार होंगे, एक एस.आई होगा उतने में जनसुनवाई हो जायेगी, शांति व्यवस्था के हिसाब से। ये कौन–सी शांति व्यवस्था आपने लगाया है अभी मै आ रहा था तो जाली खुद खोला, नही तो आधे कि.मी दूर से आना पड़ता ऐसा लग रहा था जैसे जलियावाला काण्ड होने वाला है। आप जलियावाला काण्ड करवाने वाले हो, ये मैं आपको गोली मार दूं आप मुझे मार दो ये स्थिति यहां है, जो इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके कागज में मुझे अहिंसात्मक तरीके से, सभ्य तरीके से, कानून में बात करनी है तो मैं बात कर सकता हूं। और तीसरी बात देखिए मैडम! जो देश का जो संविधान है आर्टिकल 21 से लेकर आर्टिकल 30 तक इस देश के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिये गये हैं। उसमें सीधा–सीधा पूरी ईआईए के अंदर उल्लंघन है। उस अजगर का क्या होगा? जो मेरा ह्यूमन राईट है, मेरा नही हम सबका ह्यूमन राईट है कि उनको उस मानव अधिकार जो हमारा संविधान देता है उसके तहत उनको आर्टिकल 21 से लेके 30 तक जो है उन सभी का पालन किया जाना चाहिए, वो कौन–सी कम्पनी करती है? अभी 3–4 दिन हुआ है सर ईआईए के मुताबिक यहां स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा, एक धनांगर गांव है वहां जिंदल सिमेंट प्लांट लगा है, वहां गांव के कुछ युवा लोग धरने में बैठे हुए थे, वहां पहले जिंदल कम्पनी के अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर गाड़ी चढाने की कोशिश की गई और जब लोग उठ कर भाग गये तो कम्पनी के सेक्युरिटि गार्ड, उनके जी.एम लेबल के अधिकारियों ने गांव के लोगों को इतना मारा कि एक तो रायपुर चला गया और तीन रायगढ़ के हास्पिटल में एडमिट हैं। ये सी.एस.आर है आपका? गुंडा आप कर रहे हो, मवाली आप कर रहें हो यहां से बाहर निकलूं मेरे ऊपर भी 2–3 एफ.आई.आर दर्ज हैं कि इस किताब से मैडम मैने कई कम्पनी के लोगों को जान से मारने की धमकी दी है और कोशिश की। मुझे समझ में नहीं आता अभी 30 तारीक को पेसी है, 15 साल से चल रहा है सर इस ईआईए से कम्पनी के लोगों से जान से मारने की धमकी दिया ये केश चल रहा है। उसकी जमानत मेरे को सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ी, सोचिए कौन–सी धारा लगी होगी और साबित करने में 15 साल हो गये, आज तक मैं साबित नहीं कर पाया हूं कि ईआईए से कैसे जान से मारा जा सकता है, हो सकता है जो कि मेरे कितने सामान्य तरीके से अपनी बात एक्ट, कानून, आपकी ईआईए, और मैं कोई विरोध करने नहीं आया हूं न कम्पनी का समर्थन करने आया हूं, मैं तो इस क्षेत्र की जो फैक्ट स्थिति है, जो इस क्षेत्र में होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, उन कमियों को देखते हुए इस ईआईए पर अपनी बात रख रहा हूं। ये जो जनसुनवाई होती है कोई समर्थन और विरोध का कम्पिटिशन नहीं है लोकतंत्र का मतदान नहीं पड़ रहा है। आपने ईआईए बनाई, इस ईआईए को फाईनल बनाने के पहले आप समुदाय के बीच में इसिलिये लेकर आये हैं अगर इस ईआईए

के अंदर कोई कमी है अगर कोई चीज गलत लिखी गई है उन कमियों को दूर करके आप फाईनल ईआईए बनाईये और उस फाईनल ईआईए के आधार पर केन्दीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है आपको अनुमति देना है कि नहीं देना है उस पर विचार करेगा, पर होता क्या है कि लोगों के दिमाग में ये समर्थन और विरोध है, 10 कि.मी. के भीतर में पड़ने वाले दुष्प्रभाव, तो ये ईआईए में आपने नहीं बताया कि हम ऐसे–ऐसे कम करेंगे। कम तो करेंगे, खत्म तो हो नहीं सकता, उनको कैसे खत्म किया जाय इस पर विचार करना चाहिए। अभी मैंडम मैंने 2–3 ईआईए में आपत्ति लगाया था, उनको पर्यावरण स्वीकृति मिली, स्वीकृति के बाद में केन्द्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सूचना के अधिकार मे पूछा कि मेरे किये गये आपत्तियों पर आपके द्वारा क्या–क्या कार्यवाही की गई है, प्रमाणित छायाप्रति दी जाय। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, और वो खिड़की झांक रहें हैं उन्होंने तो हमारे आपत्तियों को कागज के ढेर में फेक दिया, जला दिया, अब जो मैनें पूछा तो एक मेरे पास मेल जरूर आया कि आपने जो आपत्ति की थी आपके पास पावती होगा उसको स्कैन करके मेल कर दीजिए, ये सरकारी विभाग का हश्र है और मैं बोला अगर नहीं दोगे तो इसको चैलेंज करके एनजीटी भी जाऊंगा। अभी एक केश को पर्यावरण मंत्रालय स्वीकृत दिया था वो स्वीकृति को एनजीटी में चैलेंज किया तो उस स्वीकृति का निरस्त कर दिया, इसके बाद एमईओएफ ने आठ महिने बाद फिर से स्वीकृति दे दिया। अभी उसको लेकर हम फिर से सुप्रीम कोर्ट गये हैं, चलो जहां तक दौड़ाओगे हम वहां तक दौड़ेंगे। तो बात ये है कि काजग लोगों की जिंदगी के साथ मजाक नहीं बनना चाहिए बल्कि लोगों की बेहत्तर जिंदगी कैसे की जा सकती है ऐसे कागज बने ऐसे विचार बने। यहां के जो युवा है खास तौर से पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको ये विचार करना चाहिए कि जब उद्योग स्थापित होगा तो यहां के लोगों के जीवन में पड़ने वाले प्रभावों और दुष्प्रभाव का बेहत्तर आंकलन हो और उस आंकलन से लोंगों की जिंदगी बेहत्तर हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को स्वास्थ्य मिले, हमारा जल, जंगल, जमीन कैसे सुरक्षित होगा, ये होना चाहिए। यही बात मुझे कहनी थी। आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद! जय हिन्द जय भारत जय छत्तीसगढ़।

410. खीरसागर मालाकार, तराईमाल – सभी का इस जनसुनवाई में अभिनंदन है। प्रिज्मो जो कि तुमीडीह में बसने वाला है। कुछ महिलाये इसका विरोध कर रही थी तो मेरे द्वारा पुछा गया क्यों विरोध कर रहे है। यहा बेहतर लाईफ कैसे जिया जाये। मेरे भी 200 महुआ पेड़ रहा करते थे और छोटी दीदी और बड़ी दीदी का सादी किये थे। उद्योग पर निगरानी रखा जाये ताकि वो विवश हो जाये रोजगार देने के लिये। उद्योग किल्न लगा रही है 2500 की 2 किल्न, रोलिंग मिल है, कोल वॉशरी है इसमें जो भी प्रस्तावित इकाई है उसमें गांव के कम से कम 5–5 लोगो को रोजगार दे। उद्योग के निर्माण से लिखा है कि 48 गांव प्रभावित होंगे। 48 गांव के लोग रोजगार भी पा सकता है से। ओ.पी. चौधरी आज मंत्री है उन्होने कहा था कि मैं कलेक्टर बनने से पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और वो चालाकी दिखाते

हुये कलेक्टर बने और आज वो वित्त मंत्री है०Sलोगो को मन में होना चाहिये कि मैं गरीब हूँ लेकिन कुछ कर सकता हूँ। गरीबी आत्म सम्मान की रक्षा करते हुये मिटाना है। हमको संस्कारित रहकर गरीबी हटाना है। इनकी आवाजाही ट्रको के माध्यम से होगी तो जो ट्रांसपोर्टर है उनकी भी आर्थिक स्थिति में मदद् मिलेगी तो उद्योग होना ही चाहिये। उद्योग की हवस नहीं होनी चाहिये उद्योग पर नियंत्रण होना चाहिये। क्षेत्रीय लोगों का होना चाहीये हम आपके पास अगर गये कागज पकड़ कर के ये फैक्ट्री इआईए में ये चीज लिखा था इसका अनुसरण नहीं कर रहा था तो आप उसका प्रतिउत्तर दें की हां भाई ऐसा किया था तो इसमें लगाम लगाते हैं ओ आपकी रिस्पोंसबिलिटी बनती है। यहां एक उद्योग खुले और नियंत्रण क्षेत्रीय वासियों का रहें और केवल आपका सहयोग रहें पर्यावरण महोदय यही अपेक्षा रहेगी हम लोगों की और इसी अपेक्षा के साथ इस फैक्ट्री का स्वागत करते हैं एक बार जोरदार तालियां बजायेगें मेरे साथी। उद्योग से फ्लाई ऐश निकलेंगे जिसे आवासीय कार्य करेगें और ईंट का निर्माण होगा यहां कोयला ईंट और घरेलू उपकरण लौह उपकरण स्पंज आयरन प्लांटों में ये स्पंज आयरन उद्योगों में जो प्रोडक्टीविटी है जो भी इनका निर्मित सामान है ईंटा हो गया या छड़ हो गया कुछ भी हो गया अगर वह स्थानीय जगह में खोल रहे हैं तो निश्चित ही यह कम दामों पर मिलेगें और हर आदमी परिकल्पना कर सकेगा मैं पक्के घर में रहूं। ये सब उद्योग ही हमको मुहय्या करायेंगें। और इधर जो भी मेरे भाई पीछे जो भी बोलने आये थे ओ आज जिनके घर में सायकल नहीं था ओ आज करों पर घुम रहे हैं और ये छोटे–छोटे तराईमाल के उद्योगों में काम कर रहे हैं। उनका जीवन स्तर निश्चित रूप से ऊपर ऊठ रहा है मैं देख रहा हूं। सीएसआर की बात आती है ये कराने की सीएसआर के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था तराईमाल में हो रही है। तराईमाल में पांच प्लांट है तराईमाल में हॉस्पिटल उद्योगों के माध्यम से दो स्कूलें बढ़िया–बढ़िया भवन टाईल्स और बहुत सारी चीजें सीएसआर के माध्यम से ही हो पाती है ग्राम पंचायत के वित्तीय जो भी है उससे नहीं हो पाती तो उद्योगों का धन्यवाद और ये उद्योग आयें और खोलें और इसका स्वागत है।

411. अर्शि – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
412. दिपांशु – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
413. विजय – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
414. प्रिंस – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
415. पंकज – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
416. उत्सव – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
417. मोहन – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
418. मिथलेश – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
419. प्रवीण कुमार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
420. आनिश – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

421. राकेश कुमार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

422. विक्रम – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

423. धीरज – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

424. उत्सव यादव – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

425. शिवम – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

426. सोमू – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

427. पुष्पक – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

428. बोधकुमार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

429. आयुश – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

430. सास्वत – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

431. तुषार – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

432. साहिद – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

433. प्रकाश – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

434. सनी – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

435. सुमित – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

436. सूरज – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

437. कृष्णा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

438. ईश्वर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

439. राकेश – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

440. तुलेश्वर – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

441. आनंद राम – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

442. जगमोहन यादव, – जो समर्थन दिये है उसका आधार कार्ड देखे है क्या? आधार कार्ड के वेल्युवेशन से जनसुनवाई करना चाहिये। हम लोगो को प्लांट वाले नौकरी नहीं देना चाहते है। हम लोगो के खेत में फसल नहीं होता है और कुछ होता है तो जंगली सुवर और हाथी से परेशान है तो किसान क्यों करेंगे। प्लांट में बाहर के लोगो को रखते है और हमे ठेकेदार के अंदर रखते है। आज चलिये मैं प्रुफ दिखा दे रहा है घर में वानर घुस कर खाना को खा ले रहा है। हमारे गांव में कोई तिर्की, खलखो नहीं है और वो यहा समर्थन दे रहे है। जमीन तो किसानों का जा रहा है। किसान के पास केवल नुकशान जा रहा है, जिंदल स्कूल 2 लाख 3 लाख लेता है तो तीन साल इंजिनियरिंग करायेगा तो 9 लाख लेगा लेकिन हम 50,000 कमाते है। मेरे लड़के इंजिनियरिंग किये है उनको लेबर में रखा जा रहा है। अभी स्केनिया का लोकसुनवाई हुआ उसमें महिला समूह को फुसला कर करवाये है। गांव में मीटिंग नहीं किया गया है।

लेबर नहीं मिल रहा है खेती कर रहे है तो मर रहे है, खेती नहीं कर रहे है तो मर रहे है। बाहर वाले 8 पास लोग फोरमेन बनेंगे और यहा के बी.ए. पास लोग लेबर बनेंगे। हगर फेल होता तो हम समझते हमारा लड़का फेलवर है इसी लिये नौकरी नहीं मिल रहा है। कंपनी वाले सब को जशपुर से जाये है। सब किराये वाले गये है समर्थन करके। सामारूमा में कितने तिर्की, कितने खलखो है उनका रिकार्ड दीजिये। वो सब बाहर के है उनका कोई रिकार्ड नहीं है वोटर कार्ड में। मैं अशांति दल फैलाउंगा। मैं अनपढ़ जरूर हूँ मैं नेहरू चाचा के जैसे अशांति दल फैलाउंगा। हम लोग पटवारी को नाम के लिये बुलाते है तो 4 महिना, 6 माह में भी नहीं आता, लेकिन ये लोग नपवाये तो कौन किसान को बुलाया गया। हमारा गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र है यहा के लोगो का लाईट काट देते है, क्या प्लांट वाले का काटते है क्या, चारो तरफ अंधेरा कर देते है और हाथी आयेगा तो हम कहां भागेंगे अधंरे में। हम आदिवासी है सुबह का खाना शांम को खाते थे लेकिन अब नहीं खा पाते। हिरण मार देने से केश हो जायेगा और हम किसानों का फसल हिरण खा जा रहा है तो।

443. प्रकाश त्रिपाठी, लाखा – मैं कंपनी का स्वागत करता हूँ क्योंकि उद्योग से दरिद्रता का नाश होता है और इन गांव के लोगो को दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। जब उद्योग लगेगा तो लोगो की जरूरत पड़ेगी। जिस जगह पर कंपनी की स्थापना होती है उस गांव के साथ–साथ पुरे राष्ट्र का विकास होता है। पहले रायगढ़ को कोई जानता भी नहीं था लेकिन आज रायगढ़ का नाम सम्मान से लिया जाता है। इस क्षेत्र में रोजगार का विकास होगा। यहां कच्चे माल की ढुलाई होगी तो इसके लिये ड्राईवर, पेट्रोल बेचने वाले और इससे जुड़े सभी का विकास होगा। हर चिज के दो पहलू होते है जहां विकास होगा वहां विनाश सूनिश्चित है और विनाश को रोकने के लिये कंपनी को भरपुर प्रयास करना होगा। लोगो को रोजगार देना होगा। मेरा कंपनी से निवेदन है शिक्षा का विकास करे। जहां भी कंपनी होती है वहा के प्रदूषण से अनेको प्रकार की बीमारियां भी होती है तो मैं इस कंपनी से निवेदन करता हूँ कि इस क्षेत्र में 100 बिस्तर वाला अस्पताल भी खोले। रोड का चौड़ीकर होना चाहिये ताकि एक्सिडेंट कम हो। क्षेत्र के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, जो यहा लक्ष्मण चरण है उसका भी विकास कर सुसज्जित करें। धन्यवाद।

444. अखिल कुमार शर्मा – जब से प्लांट आई है विकास की गंगा बह रही है। पूंजीपथरा, तुमीडीह, सामारूमा सब का विकास हो रहा है। जो पहले रूमाल में भी नहीं खरीद सकता था वो आज शेरवानी पहन रहा है। यहा पर सब कोई खुश है। जो लोग विरोध कर रहे है जब जमीन दिया तो कहां थे तुम। गांव वाले तुमने उन्नती की कि नहीं।

445. राजेश गुप्ता, सराईपाली – सराईपाली यहां से 5–6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां रायगढ़ के कही रोड़ को नहीं बचायेंगे कंपनी से। ट्रेक्टर चलने के लिये जो रोड बना है उसको बचाया नहीं जा सकता क्या? यहा जमडबरी से जो रोड बनी हुई है उसको बनाया जाना नहीं चाहिये क्या। यहां बहुत प्रदूषण फैल रहा है इस पर किसकी जवाबदारी है। यहां बहुत बड़ा डेम था हम गर्मी में आकर यहा नहाया करते

थे लेकिन आज वहां हाथ भी नहीं धो सकते। 4करोड़ो की लागत में डेम बनाया गया है आने वाले दिनों में इसको बचाया नहीं गया तो यहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जंगली सुंवर के बारे में नहीं बताया गया है। यहां सिलिकोसिस जैसे बीमारी है उनके हेल्थ के लिये कोई जांच नहीं किया जा रहा है। मैं एक विडियो दिखाना चाहूंगा एक गाय पानी पी रही है और वहा पुरा फ्लाई ऐश डाला गया है। यहां लोगो को रोजगार दिया जाये, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाये। एन.जी.टी. का भी निर्देश है यहां और कंपनी नहीं लग सकती है।

446. सुदामा चौहान, तुमीडीह – मेरे पास आधार कार्ड भी है। मैं 100 बात की एक बात कहना चाहता हूं, बड़े भैया भी बोल रहे थे जब आठवीं पास फोरमेन बन सकता है तो मुझे यहां मैनेजर के पद में लिखित रूप में नौकरी देने की कष्ट करेंगे। क्या बोल रहें है सर? मैं गांव का निवासी हूं, बेरोजगार युवा क्या बोलना है आपका कोई जवाब कितना टाईम तक वेट करूंगा? मेरे जैसे कितना युवक गांव में घुम रहे हैं कितनों ने समर्थन किया कितनों ने विरोध किया, मै आपसे नौकरी का गुहार लगाता हूं। क्या कहना चाहेंगे, मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए मुझे। मैं इस कम्पनी के हुनर को देखना चाहता हूं। कब तक बेरोजगार घुमेंगे, बी. ए. पास करके हेल्फरी का नौकरी करेंगे क्या पांच हजार रूपये में? क्या कहना चाहते हैं आप लोग, जबतक लिखित रूप से नहीं मिलेगा तब तक मैं यहां खड़ा रहुंगा, न आगे बढ़ाना चाहुंगा न खतम करूंगा, न समर्थन करूंगा न विरोध करूंगा।

पीठासीन अधिकारी महोदया द्वारा बोला गया कि पर्यावरणीय मुद्दों पे आपके और कोई कथन है तो कहिये।

सुदामा चौहान – नहीं मैम, मैं जो सवाल किया हुआ उसका जवाब चाहिए।

पीठासीन अधिकारी महोदया – सुनिए अभी जो है पर्यावरणीय मुद्दों पे हम सुनवाई कर रहें हैं जब कम्पनी लगेगी उस टाईम पे वैकेन्सी निकालेंगे तब आप विधिवत् आवेदन करिये आपके जैसे बहुत सारे बेरोजगार हैं, सभी लोग आवेदन करेंगे, उसके हिसाब से नौकरी दी जायेगी। अभी आपका और कोई मुद्दा है रोजगार के अलावा?

सुदामा चौहान – देखिए मैडम हम सब लोग बेरोजगार हैं घूम रहें हैं।

पीठासीन अधिकारी महोदया – ठीक है आपका एक मुद्दा है वो नोट हो गया है और कोई मुद्दा है आपके पास पर्यावरणीय बिन्दुओं पे। आज के जनसुनवाई में पर्यावरणीय मुद्दों पे और कोई बिन्दु हैं तो वो रखिये।

सुदामा चौहान – मैंडम मैं लिखित में ले कर ही जाऊंगा।

पीठासीन अधिकारी महोदया – ठीक है आपका नोट हो गया है।

447. बलराम साहू – जनसुनवाई तो बस नाम का है बस पैसे का खेल है मैं विरोध करता हूँ।

448. फूलकुमार यादव, सामारूमा – मेसर्स प्रिस्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 04.00 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री महेश्वर रेड्डी, अभी सुनवाई में जो मुद्दा उठाया है उसे पर मैं क्लेरिफिकेशन दूंगा सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में आया था इसके लिए हम लोग परियोजना में इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रसिपेटर बैक फिल्टर डस्ट सप्रेशन सिस्टम लगाया जाएगा पूरा कन्वेयर कवर्स करेंगे फल वॉशिंग फैसिलिटी लगाएंगे जो ट्रक का रहेगा उसको वॉश करके और चिमनी से निकलने वाले वायु को शुद्ध करने के बाद चिमनी से निकल जाएगा चिमनी का ऊंचाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों के अनुसार किया जाएगा इसके अलावा हम लोग इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाएंगे जब भी पॉल्यूशन स्टैंडर्ड से ज्यादा हो जाता है तभी प्रोडक्शन बंद हो जाता है इसके अलावा हम लोग जल प्रदूषण के बारे में जो दूषित जल निकलेगा उसकी एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध किया जाएगा शुद्ध करने के बाद इसको हरियाली की वृद्धि के लिए डस्ट सप्रेशन के लिए, ऐशकंडीशनिंग के लिए फ्लोर वॉशिंग के लिए भी उसे करेंगे कोई भी दूषित जल बाहर नहीं जाएगा इसको पहले एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध किया जाएगा और जो घरेलू दूषित जल आएगा उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध कर हरियाली के वृद्धि के लिए उपयोग किया जाएगा कहीं भी दूषित जल बाहर नहीं जाएगा कोई भी नदी या नाल में डिस्चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा 10 किलोमीटर के रेडियस में जो प्रस्तावित परियोजना आ रहा है हाथियों का मूवमेंट चल रहा है इसके लिए हम लोग कंजर्वेशन प्लान बनाकर प्रिंसिपल के कंजर्वेशन फॉरेस्ट रायपुर से अप्रूवल भी लिया गया है इसके लिए 70 लख रुपए का बजट रखा गया है 10 लाख में एक्सपेंडिचर भी स्पेंड करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार। इसके बाद सिलिकोसिस का इशू आया था सिलिकोसिस जनरली माइनिंग में होता है जो क्वार्ट्ज माइनिंग होता है उसमें सिलिकोसिस ज्यादा होता है हम लोग फेरो एलॉय में क्वार्ट्ज का बहुत कम मात्रा में उपयोग करते हैं इसलिए इसे कोई सिलिकोसिस होने का चांस नहीं है और एक मुद्दा आया था टी यू आर लेटर के पहले बेस लाइन डेटा का कलेक्शन कैसा होगा हमें टी यू आर लेटर मिला है 20 जुलाई 2024 को मिला है हम लोग बेस लाइन डेटा 1 मार्च 2024 से 31 में 2024 तक किया गया है जो भारत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के अनुसार कभी भी बेस लाइन डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं यह 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए नियमों के अनुसार हम लोग डाटा कलेक्शन किए हैं। धन्यवाद।

उद्योग प्रतिनिधी–इस लोग सुनवाई में उठाए गए सभी मुद्दों सुझाव टीका टिप्पणियों पर हमारी कंपनी गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए फाइनल ई आई ए रिपोर्ट में सम्मिलित करेगी एवं शासकीय नियमों पर नियमों एवं दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य करने की कोशिश करेगी। आपके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर संक्षेप में सिलसिलेवार जवाब प्रस्तुत है। एक प्रश्न एक व्यक्ति ने पूछा है की सूचना कहां–कहां पर दिया गया है

उस संबंध में है कि हरिभूमि अखबार में दिनांक 22 नवंबर 2024 को सर्व संबंधितों को सूचना छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा प्रकाशित कराया गया है यही सूचना क्रांतिकारी संकेत अखबार में दिनांक 22 नवंबर 2024 को प्रकाशित की गई है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में दिनांक 22 नवंबर 2024 को प्रकाशित की गई है। ई आई ए की कॉपियां डायरेक्टर वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नया रायपुर, सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कलेक्टर जिला रायगढ़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायगढ़,घरघोड़ा, तमनार, मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा सरपंच तथा सचिव ग्राम पंचायत तराईमल, भुईकुरी, सरायपाली, आमघाट, भालूमार, राबो, समरुमा, छर्राटांगर, अमलीडीह, तुमीडीह मैं इसकी कॉपियां उपलब्ध कराई गई है। ईआईए नोटिफिकेशन प्रावधानों के अनुसार तथा टॉर में अधिरोपित शर्तों के अनुरूप ड्राफ्ट ई आई ए रिपोर्ट अनुसार बनाया गया है उसमें उक्त सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया है एवं आवश्यक जानकारियां 10 किलोमीटर रेडियस के हिसाब से प्रदाय की गई है। जलवायु एवं प्रदूषण के संबंध में पर्यावरण नियमों परिणाम एवं दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उपयुक्त रोड का निर्माण शासन प्रशासन एवं ग्राम पंचायत की समिति की सहयोग से किया जाएगा उद्योग का वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ करने से पहले यह कार्य पूर्ण किया जाएगा सड़क चौड़ीकरण के लिए ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। 3200 के एल डी पानी की आवश्यकता होगी जिसके लिए डब्लू आर डी जल संसाधन विभाग में 3 अक्टूबर को आवेदन प्रस्तुत किया है पानी प्रदायिक में समय लगने के संभावना होने से 490 केएलडी पानी भूजल स्रोत से प्राप्त करने के लिए 21 दिसंबर 2024 को आवेदन भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एनओसी लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को उनकी योग्यता अनुसार औद्योगिक नीति 2024–2030 के अनुसार रोजगार दिया जाएगा इसमें स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी चरणबद्ध रूप से परियोजना में लगभग 1050 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कंपनी अधिनियम में प्रतिपादित सीएसआर नियमों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। सोशल इकोनॉमी मैनेजमेंट प्लान, ई आई ए में क्रमांक 6.2 के अंदर उसका विवरण दिया गया है सभी आवश्यक एन ओ सी, अनुमति, सहमति इत्यादि प्राप्त करने के बाद ही वाणिज्य कार्य प्रारंभ किया जाएगा। हाथी विचारण के बारे में कंपनी द्वारा वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन प्लान विभाग में प्रस्तुत किया गया है और उसे संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा 20 दिसंबर 2024 को अनुमति प्राप्त की गई है अधिरोपित शर्तों का हमारे द्वारा अक्षरशः पालन किया जाएगा। 20.187 हेक्टेयर जमीन नियमानुसार ली गई है, यह वन भूमि या आदिवासी भूमि नहीं है। औद्योगिक प्रयोजन के लिए नियमानुसार जमीन डायवर्सन अनुमति ली जाएगी, उसके उपरांत ही उद्योग स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। आरआर पॉलिसी नियमानुसार लागू नहीं है, क्योंकि 20.187 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाहट नहीं है। शासन एवं प्रशासन द्वारा स्थानीय स्थिति एवं परिस्थिति के अनुरूप लोकसुनवाई आयोजित की जाती है, नियमानुसार सूचना अखबारों में एवं ग्रामों में मुनादी द्वारा दी जाती है तथा ग्राम पंचायत को ईआईए की प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराई गई। हम कारखाने में एंबुलेंस की व्यवस्था करेंगे जो आवश्यकता होने पर स्थानीय निवासियों के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। वन विभाग से 9 अप्रैल 2024 को अनापत्ति प्राप्त की गई है। इसी तरह

जल संसाधन विभाग से 4 अक्टूबर 2024 को अनापत्ति प्राप्त की गई है। अपशिष्ट जल का निपटारन शासन के नियमों पर परिनियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। औद्योगिक दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे कारखाना नियमों एवं परिनियमों का पालन किया जाएगा। ई आई ए नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार ई आई ए ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई गई है। सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट की जानकारी दी गई है एवं सभी संबंधितों को प्रदान की गई है। नियमानुसार उसकी संक्षेपिका हिंदी एवं अंग्रेजी में जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराई गई है एवं उसकी प्रतिलिपि विभागीय पोर्टल में ऑनलाइन उपलब्ध है। क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण के लिए ड्राफ्ट ई आई ए में 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है एवं वार्षिक रूप से 8.82 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्योग स्थापना के लिए ग्राम पंचायत से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त की गई है स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत शासन एवं प्रशासन के सहयोग से की जाएगी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए ग्राम पंचायत को समय–समय पर समुचित सहयोग देने के लिए कंपनी तैयार एवं तत्पर है। स्थानीय निवासियों को औद्योगिक नीति 2024, 2030 के प्रावधानों अनुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कंपनी आपको विश्वास दिलाती है, कि प्रस्तावित कारखाने में औद्योगिक नीति 2024–2030, श्रम कानून, पर्यावरण नियमों, कारखाना अधिनियम, कंपनी अधिनियम तथा लागू सभी नियमों, परिनियमों एवं दिशा निर्देशों का अक्षरशः से पालन किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के लिए आपके सहयोग एवं सहमति के लिए हम आपका अत्यंत आभारी हैं। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।

सुनवाई के दौरान 10 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 15 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। लोक सुनवाई में लगभग 500 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 101 लोगों ने हस्ताक्षर किये। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई है। लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद! आज की लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की जाती है।

(अंकुर साहू)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ (छ.ग.)

01-01-25
(संतन देवी जांगड़े)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)